

## अध्याय-II

### राज्य के वित्त

#### 2.1 राज्य के प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तन

यह वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य के प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तनों का एक समग्र दृश्य प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित संकेतकों के विश्लेषण की चर्चा आगामी प्रस्तारों में की गई है।

तालिका 2.1: वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियां	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 12.46 प्रतिशत की वृद्धि</li> <li>✓ राज्य की स्वयं की कर प्राप्तियों में 18.13 प्रतिशत की वृद्धि</li> <li>✓ गैर-कर प्राप्तियों में 17.96 प्रतिशत की वृद्धि</li> <li>✓ केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य के अंश में 5.85 प्रतिशत की वृद्धि</li> <li>✓ भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान में 15.56 प्रतिशत की वृद्धि</li> </ul>
राजस्व व्यय	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ राजस्व व्यय में 12.56 प्रतिशत की वृद्धि</li> <li>✓ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 8.36 प्रतिशत की वृद्धि</li> <li>✓ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 14.83 प्रतिशत की वृद्धि</li> <li>✓ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 17.71 प्रतिशत की वृद्धि</li> <li>✓ सहायता अनुदान पर व्यय में 9.09 प्रतिशत की वृद्धि</li> </ul>
पूँजीगत प्राप्तियां	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ऋण पूँजीगत प्राप्तियों में 11.75 प्रतिशत की कमी</li> <li>✓ गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों में 42.35 प्रतिशत की वृद्धि</li> </ul>
पूँजीगत व्यय	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ पूँजीगत व्यय में 30.21 प्रतिशत की वृद्धि</li> <li>✓ सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 88.76 प्रतिशत की वृद्धि</li> <li>✓ सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 88.75 प्रतिशत की वृद्धि</li> <li>✓ आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 5.96 प्रतिशत की वृद्धि</li> </ul>
ऋण और अग्रिम	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ऋणों और अग्रिमों के संवितरण में 532.76 प्रतिशत की वृद्धि</li> <li>✓ ऋण और अग्रिमों की वसूली में 42.35 प्रतिशत की वृद्धि</li> </ul>
लोक ऋण	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ लोक ऋण प्राप्तियों में 11.75 प्रतिशत की कमी</li> <li>✓ लोक ऋण की पुनर्भुगतान में 21.01 प्रतिशत की कमी</li> </ul>
लोक लेखा	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ लोक लेखा प्राप्तियों में 18.72 प्रतिशत की वृद्धि</li> <li>✓ लोक लेखा से संवितरण में 17.88 प्रतिशत की वृद्धि</li> </ul>
रोकड़ अवशेष और निवेश	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 31 मार्च 2022 की तुलना में 31 मार्च 2023 को नकद शेष और निवेश में ₹ 11,685 करोड़ (26.24 प्रतिशत) की कमी।</li> </ul>

स्रोत : सम्बन्धित वर्ष के वित्त लेखे

#### 2.2 निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

2018-23 की अवधि के लिये राज्य सरकार के वित्त पर समय श्रेणी आँकड़े परिशिष्ट 2.1 में दिये गये हैं। तालिका 2.2 वर्ष 2021-22 के सापेक्ष वर्ष 2022-23 में

राज्य के वित्तीय संसाधनों के घटकों व उप-घटकों एवं निधियों के अनुप्रयोग को प्रदर्शित करती है।

तालिका 2.2: वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग की तुलना

	विवरण	2021-22 (₹ करोड़ में)	2022-23 (₹ करोड़ में)	वृद्धि/कमी (प्रतिशतता में)
स्रोत	प्रारम्भिक रोकड़ अवशेष और निवेश	31653	44533	40.69
	राजस्व प्राप्तियां	371011	417241	12.46
	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	939	1337	42.35
	लोक ऋण प्राप्तियां (निवल)	47025	44156	(-)6.10
	विविध पूँजी प्राप्तियां	0	0	-
	लोक लेखा प्राप्तियां (निवल)*	4442	8795	98.00
	आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	700	0	(-)100.00
	<b>योग</b>	<b>455770</b>	<b>516062</b>	<b>13.23</b>
	अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	337581	379978
पूँजीगत व्यय		71443	93028	30.21
ऋणों एवं अग्रिमों से संवितरण		1613	10208**	532.76
आकस्मिकता निधि में विनियोग		600	0	(-)100.00
आकस्मिकता निधि से संवितरण		0	0.06	-
अन्तिम रोकड़ अवशेष एवं निवेश		44533	32848	(-)26.24
<b>योग</b>		<b>*455770</b>	<b>516062</b>	<b>13.23</b>

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे


\* मुख्यशीर्ष 8671-विभागीय अवशेष, 8672-स्थायी रोकड़ अग्रदाय एवं 8673-रोकड़ अवशेष निवेश लेखा और रक्षित निधि में निवेश जो आरम्भिक एवं अन्तिम अवशेष का भाग है, के अन्तर्गत लेन-देन को छोड़कर।

\*\* वर्ष 2022-23 के दौरान ऋण एवं अग्रिमों के अन्तर्गत संवितरण ₹ 10,208.63 करोड़ था।


2.2.1 वर्ष 2022-23 के दौरान निधियों के घटक-वार स्रोतों और अनुप्रयोगों को चार्ट 2.1 में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 2.1: वर्ष 2022–23 के दौरान संसाधनों का संघटन और अनुप्रयोग

संसाधनों के संघटन (प्रतिशत में)



संसाधनों के अनुप्रयोग (प्रतिशत में)



स्रोत: वित्त लेख 2022–23


## 2.3 राज्य के संसाधन

यह खण्ड वर्ष 2018–19 से 2022–23 की अवधि में राज्य के संसाधनों एवं उनकी प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता है।

### 2.3.1 राज्य की प्राप्ति

वर्ष 2022–23 की अवधि में राज्य की प्राप्ति का संघटन चार्ट 2.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.2: वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्तियों के संघटन का विवरण



स्रोत: वित्त लेखे 2022-23

वर्ष 2022-23 के दौरान में राज्य की कुल प्राप्तियां ₹ 4,94,220 करोड़ थी। इसमें ₹ 4,17,241 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां, ₹ 68,184 करोड़ की पूँजीगत प्राप्तियां और ₹ 8,795 करोड़ की निवल लोक लेखा प्राप्तियां<sup>4</sup> सम्मिलित है। राजस्व प्राप्तियों में ₹ 1,74,087 करोड़ का स्वयं का कर राजस्व, ₹ 13,489 करोड़ का करेतर राजस्व, ₹ 1,69,745 करोड़ के केन्द्रीय करों एवं शुल्कों का अंश और ₹ 59,920 करोड़ का भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित हैं। पूँजीगत प्राप्तियों में ₹ 1,337 करोड़ की गैर-ऋण प्राप्तियां एवं ₹ 66,847 करोड़ की लोक ऋण प्राप्तियां सम्मिलित हैं।

### 2.3.2 राज्य की राजस्व प्राप्तियां

यह प्रस्तर कुल राजस्व प्राप्तियों और इसके घटकों में प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता है। इसके बाद प्राप्तियों में प्रवृत्तियों का विश्लेषण है, जिन्हें राज्य की अपनी प्राप्तियों और केन्द्र सरकार से प्राप्तियों में विभाजित किया जाता है।

#### 2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति और वृद्धि

पाँच वर्ष की अवधि 2018-23 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के सापेक्ष कुल राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों और वृद्धि को तालिका 2.3 में दर्शाया गया है।

<sup>4</sup> निवल लोक लेखे प्राप्तियां वित्तीय वर्ष के अन्त में लघु बचत और भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा/अग्रिम, उच्चत एवं विविध और प्रेषणों का निवल अवशेष है।

तालिका 2.3 : राज्य के राजस्व प्राप्तियों, स्वयं के कर राजस्व और करेतर राजस्व की प्रवृत्ति  
(₹ करोड़ में)

मापदण्ड	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व प्राप्तियां (आरआर)	329978	366393	296176	371011	417241
आरआर की वृद्धि दर (प्रतिशत)	18.37	11.04	(-)19.16	25.27	12.46
<b>राजस्व प्राप्तियां</b>					
स्वयं का राजस्व	120122	122826	119897	147368	174087
केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	136766	117818	106687	160358	169745
<b>करेतर राजस्व</b>	30101	81705	11846	11436	13489
भारत सरकार से सहायता अनुदान	42989	44044	57746	51849	59920
भारत सरकार से सहायता अनुदान की वृद्धि दर	5.76	2.45	31.11	(-)10.21	15.56
स्वयं के राजस्व (स्वयं के कर राजस्व एवं करेतर राजस्व)	150223	204531	131743	158804	187576
स्वयं के राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	28.19	36.15	(-)35.59	20.54	18.12
जीएसडीपी उत्पाद (₹ करोड़ में) (2011-12 श्रेणी)	1582180	1700062	1645317	1974532	2257575
जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.88	7.45	(-)3.22	20.01	14.33
आरआर/जीएसडीपी (प्रतिशत)	20.86	21.55	18.00	18.79	18.48
<b>उछाल अनुपात<sup>5</sup></b>					
जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व उछाल	1.86	1.48	*	1.26	0.87
जीएसडीपी के सापेक्ष राज्य के स्वयं का राजस्व उछाल	2.85	4.85	*	1.03	1.26

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

\* चूंकि जीएसडीपी की वृद्धि नकारात्मक थी, इसलिये उछाल की गणना नहीं की गयी थी।

तालिका 2.3 में वर्णित आँकड़ों पर आधारित विश्लेषण से पता चलता है कि:

- वर्ष 2022-23 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य की राजस्व प्राप्तियां ₹ 4,17,241 करोड़ थी। 2018-23 की अवधि के दौरान चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 6.04 प्रतिशत थी। विगत वर्ष (2021-22) की तुलना में वर्ष 2022-23 में इसमें 12.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि मुख्य रूप से वर्ष 2021-22 की तुलना में केन्द्रीय कर हस्तांतरण के अन्तर्गत निगम कर (23 प्रतिशत) और निगम कर के अलावा आय पर कर (17 प्रतिशत) तथा स्वयं के कर राजस्व (18 प्रतिशत) की उच्च प्राप्तियों के कारण हुई।
- राज्य सरकार ने बजट अनुमान वर्ष 2022-23 में ₹ 4,99,213 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों का अनुमान लगाया था जिसे घटाकर संशोधित अनुमान में ₹ 4,78,817 करोड़ कर दिया गया। बजट अनुमान वर्ष 2022-23 की तुलना में, स्वयं के कर राजस्व की वास्तविक प्राप्तियों में 21.10 प्रतिशत, करेतर राजस्व में 42.37 प्रतिशत और भारत सरकार से सहायता अनुदान में 44.85 प्रतिशत की कमी आई थी। राज्य, स्वयं के


<sup>5</sup> उछाल अनुपात आधार चर में दिए गए परिवर्तन के सम्बन्ध में एक राजकोषीय चर की प्रतिक्रिया के परिमाण को इंगित करता है।

कर राजस्व में 6.02 प्रतिशत और भारत सरकार से सहायता अनुदान में 46.28 प्रतिशत कमी के कारण संशोधित अनुमानों को भी प्राप्त नहीं कर सका।

- वर्ष 2018-23 के दौरान जीएसडीपी के सापेक्ष राज्य के स्वयं के कर राजस्व उछाल का अनुपात उतार चढ़ाव भरा रहा, यह वर्ष 2018-19 में 2.85 की तुलना में 2019-20 में बढ़कर 4.85 हो गया, वर्ष 2021-22 में यह 1.03 था जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 1.26 हो गया।
- भारत सरकार से सहायता अनुदान 2021-22 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों के 13.98 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 14.36 प्रतिशत था, जो कि वर्ष 2022-23 के दौरान सहायता अनुदान की अधिक (15.56 प्रतिशत) प्राप्तियों के कारण था।


वित्त लेखे के अनुसार अवधि 2018-23 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों और संघटन को चार्ट 2.3 एवं चार्ट 2.4 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.3 वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.4: वर्ष 2018–23 की अवधि के दौरान जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियाँ



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

### 2.3.2.2 राज्य के स्वयं के संसाधन


राज्य के स्वयं के संसाधनों में स्वयं का कर राजस्व और करेतर राजस्व सम्मिलित है। उत्तर प्रदेश राज्य के स्वयं के कर राजस्व के घटक राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी), राज्य आबकारी, वाहनों पर कर, स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क, भू-राजस्व, विद्युत पर कर और शुल्क, सामानों एवं यात्रियों पर कर आदि हैं। करेतर राजस्व के स्रोतों में राजकोषीय सेवाओं से प्राप्तियाँ यथा सरकार द्वारा दिए गए बकाया ऋणों एवं अग्रिमों से ब्याज प्राप्तियाँ एवं रोकड़ अवशेष का निवेश, लाभांश और इक्विटी निवेश से लाभ, खनिज, वन और वन्य जीवन, के संरक्षक के रूप में उन रखी गई सम्पत्ति के उपयोग की अनुमति के लिए रायल्टी शुल्क या ऐसी अन्य सेवाओं और सरकार के तन्त्र के माध्यम से प्रदान की जाने वाली विभिन्न सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के लिए उपयोग शुल्क सम्मिलित हैं। 2018–23 की अवधि के दौरान स्वयं के कर/करेतर राजस्व के संग्रहण का विवरण **परिशिष्ट 2.2** में दिया गया है।

#### (i) स्वयं का कर राजस्व

राज्य के स्वयं के कर राजस्व में राज्य वस्तु और सेवा कर (एसजीएसटी), बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य आबकारी, वाहनों पर कर, स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क, भू-राजस्व आदि सम्मिलित हैं।

वर्ष 2022–23 के दौरान राज्य का स्वयं का कर राजस्व ₹ 1,74,087 करोड़ था। वर्ष 2018–23 की अवधि के दौरान, यह 2018–19 के ₹ 1,20,122 करोड़ से 44.93 प्रतिशत (₹ 53,965 करोड़) बढ़कर 2022–23 में ₹ 1,74,087 करोड़ हो गया। स्वयं का कर राजस्व की वृद्धि की प्रमुख प्रवृत्तियों को **चार्ट 2.5** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.5: वर्ष 2018-23 के दौरान स्वयं का कर राजस्व



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान राज्य के स्वयं का कर राजस्व के घटकों के अन्तर्गत प्राप्तियों का विवरण तालिका 2.4 में दिया गया है।

तालिका 2.4: वर्ष 2018-23 के दौरान राज्य की स्वयं का कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

क्र०सं०	राजस्व मद	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	स्पार्कलाइन
1	बिक्री, व्यापार, आदि पर कर	23798	20517	22127	27058	31979	
2	राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)	46108	47232	42860	54594	64141	
3	राज्य आबकारी	23927	27325	30061	36320	41253	
4	वाहनों पर कर	6929	7715	6483	7776	9059	
5	स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क	15733	16070	16475	20048	24844	
6	भू-राजस्व	631	504	297	193	285	
7	विद्युत पर कर एवं शुल्क	2978	3453	1587	1366	2519	
8	अन्य कर	18	10	7	13	7	
	योग	120122	122826	119897	147368	174087	

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.4 से यह स्पष्ट है कि:

- वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान स्वयं के कर राजस्व में 18 प्रतिशत की समग्र वृद्धि मुख्य रूप से राज्य वस्तु और सेवा कर में ₹ 9,547 करोड़, राज्य आबकारी में ₹ 4,933 करोड़, बिक्री, व्यापार आदि पर कर में



₹ 4,921 करोड़, स्टाम्प और निबन्धन शुल्क में ₹ 4,796 करोड़, वाहनों पर कर में ₹ 1,283 करोड़ तथा विद्युत पर कर एवं शुल्क में ₹ 1,153 करोड़ वृद्धि के कारण हुई थी।

- राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) राज्य के कर राजस्व का सबसे बड़ा घटक है, जिसमें वर्ष 2022–23 के लिए स्वयं का कर राजस्व प्राप्तियों का 36.84 प्रतिशत सम्मिलित है। वर्ष 2022–23 के दौरान, अनुमानित एसजीएसटी ₹ 88,264 करोड़ था, जिसके विरुद्ध वास्तविक संग्रह ₹ 64,141 करोड़ था जो अनुमान से 27.33 प्रतिशत कम था। तथापि विगत वर्ष की तुलना में एसजीएसटी 17.49 प्रतिशत अधिक था।
- बिक्री, व्यापार आदि पर करों के अन्तर्गत संग्रहण में वृद्धि मुख्य रूप से राज्य बिक्री कर ₹ 2,780.62 करोड़ और मूल्य वर्धित कर ₹ 2,747.72 करोड़ के अन्तर्गत अधिक प्राप्ति के कारण हुई थी। राज्य आबकारी में वृद्धि मुख्य रूप से माल्ट मदिरा में ₹ 1,862.83 करोड़, विदेशी मदिरा एवं स्पिरिट में ₹ 1,048.86 करोड़ तथा देशी स्पिरिट में ₹ 1,804.83 करोड़ की बिक्री में वृद्धि के कारण हुई थी। वाहनों में कर में वृद्धि मुख्य रूप से राज्य मोटर वाहन कराधान अधिनियम के अन्तर्गत ₹ 924.88 करोड़ की वृद्धि तथा भारतीय मोटर वाहन कराधान अधिनियम के अन्तर्गत ₹ 359.18 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई है।

#### राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार 2022–23 में एसजीएसटी की धनराशि ₹ 27,364.88 करोड़ थी तथा वित्त लेखे 2022–23 के अनुसार मुख्यशीर्ष 0006 के अन्तर्गत एसजीएसटी की धनराशि ₹ 64,140.91 करोड़ थी। ₹ 36,766.03 करोड़ के अन्तर का कारण लघु शीर्ष 105, 106, 107, 108 एवं 110 एसजीएसटी के विभाजन (₹ 38,685.46 करोड़) जो भारत सरकार से प्राप्त संस्वीकृतियों के कारण पुस्तांकित किये गये थे तथा वापसी/फ्लोटिंग चार्ज ₹ 1,909.47 करोड़ था।

#### बकाया राजस्व का विश्लेषण

बकाया राजस्व से तात्पर्य सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व की विलम्बित वसूली से है। 31 मार्च 2023 को बकाया राजस्व ₹ 45,687.87 करोड़ था, जिसमें से ₹ 16,893.47 करोड़ पाँच वर्ष से अधिक समय से लम्बित थे, जैसा कि तालिका 2.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.5 : बकाया राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	राजस्व की मद	31 मार्च 2023 को लम्बित धनराशि	31 मार्च 2023 को पाँच वर्ष से अधिक समय से लम्बित धनराशि
1.	बिक्री व्यापार आदि पर कर/वैट	35081.65	14910.71
2.	राज्य वस्तु और सेवा कर	7430.27	0.00
3.	वाहनों पर कर	675.57	0.00
4.	राज्य आबकारी	45.26	45.26
5.	स्टाम्प और निबन्धन	2455.12	1937.50
	<b>योग</b>	<b>45687.87</b>	<b>16893.47</b>

**(ii) करेतर राजस्व**

वर्ष 2018–23 की अवधि के दौरान करेतर राजस्व के प्रमुख स्रोत और उनकी प्रवृत्ति का विश्लेषण तालिका 2.6 में दिया गया है:

तालिका 2.6: वर्ष 2018–23 की अवधि के दौरान करेतर राजस्व की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	स्पार्कलाइन
(i) ब्याज प्राप्तियाँ	1712	1469	1115	1250	1259	
(ii) लामांश एवं लाम	176	39	105	212	141	
<b>(iii) अन्य करेतर प्राप्तियाँ:</b>						
(क) विविध सामान्य सेवायें	13678	72044	572	295	486	
(ख) अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	3165	2181	3113	2655	3351	
(ग) ऊर्जा	5735	1044	1309	1769	965	
(घ) सिंचाई (वृहद, मध्यम एवं लघु)	908	1024	1174	1120	1280	
(ङ) सड़क एवं पुल	932	707	997	640	855	
(च) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	381	480	505	452	672	
(छ) अन्य एवं विविध	3414	2717	2956	3043	4480	
<b>योग</b>	<b>28213</b>	<b>80197</b>	<b>10626</b>	<b>9974</b>	<b>12089</b>	
<b>महायोग [(i), (ii) एवं (iii)]</b>	<b>30101</b>	<b>81705</b>	<b>11846</b>	<b>11436</b>	<b>13489</b>	


स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य की करेतर प्राप्तियां सर्वाधिक रहीं। तथापि, वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में उच्च करेतर प्राप्तियां मुख्य रूप से निक्षेप निधि से अवशेषों ₹ 12,693 करोड़ (2018–19) और ₹ 71,180 करोड़ (2019–20) को "विविध सामान्य सेवा शीर्ष" के अन्तर्गत बिना नगद प्राप्ति के स्थानांतरण के कारण थी। वर्ष 2022–23 के दौरान, कुल करेतर राजस्व प्राप्तियां ₹ 13,489 करोड़ थी, जो विगत वर्ष की तुलना में 17.95 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। गैर-लौह खनन और धातुकर्म उद्योगों की प्राप्तियों में ₹ 696 करोड़ (26.21 प्रतिशत), शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति में ₹ 220 करोड़ (48.67 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्य रूप से थी। विगत वर्ष (2021–22) की तुलना में वृद्धि को उर्जा के अन्तर्गत ₹ 804 करोड़ (45.44 प्रतिशत) कम प्राप्ति से प्रति-संतुलित थी।

**2.3.2.3 केन्द्र सरकार से अन्तरण**

केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य सरकार के अंश के घटक निगम कर, निगम कर से भिन्न आय पर कर, सेवा कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर और एकीकृत वस्तु और सेवा कर आदि हैं। 2013–14 से 2022–23 की अवधि के दौरान केन्द्रीय कर हस्तांतरण और अनुदान नीचे चार्ट 2.6 में दिए गए हैं:

चार्ट 2.6: केन्द्र सरकार से हस्तांतरण की प्रवृत्ति



वर्ष 2022-23 के दौरान, भारत सरकार से स्थानांतरण, (₹ 2,29,665 करोड़) जिसमें केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य का अंश (₹ 1,69,745 करोड़) और सहायता अनुदान (₹ 59,920 करोड़) सम्मिलित था, जो कि राज्य की राजस्व प्राप्तियों (₹ 4,17,241 करोड़) का 55.04 प्रतिशत था। वर्ष 2021-22 की तुलना में भारत सरकार से कुल हस्तांतरण 8.23 प्रतिशत (₹ 17,458 करोड़) अधिक था।

**(i) केन्द्रीय कर अन्तरण**

चौदहवें वित्त आयोग (2015-20) एवं 2020-23 की अवधि के लिये पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए अनुमानों की तुलना में राज्य सरकार को केन्द्रीय करों और शुल्कों में अंश के सापेक्ष वास्तविक अवमुक्त धनराशि तालिका 2.7 में दी गई है।

तालिका 2.7: अनुमान के सापेक्ष उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय अंश का वास्तविक हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वित्त आयोग के अनुमान	वित्त आयोग अनुशंसा के अनुसार अनुमान	वास्तविक हस्तांतरण	अन्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (4)-(3)
2015-16	सेवा कर को छोड़कर सभी साझा करने योग्य करों की शुद्ध आय का 17.959 प्रतिशत और	104297	90973.69	(-)13323.31
2016-17	साझा करने योग्य सेवा कर की शुद्ध आय का 18.205 प्रतिशत।	120355	109428.29	(-)10926.71
2017-18	(14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार)	139070	120939.14	(-)18130.86
2018-19	सभी साझा करने योग्य करों की शुद्ध आय का 17.931 प्रतिशत।	160892	136766.46	(-)24125.54
2019-20	(15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार)	186352	117818.30	(-)68533.70
2020-21	सभी साझा करने योग्य करों की शुद्ध आय का 17.931 प्रतिशत।	153342	106687.01	(-)46654.99
2021-22	(15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार)	118145	160358.05	42213.05
2022-23	सभी साझा करने योग्य करों की शुद्ध आय का 17.939 प्रतिशत।	131426	169745.30	38319.30
	(15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार)			

पाँच वर्ष की अवधि 2018–23 के दौरान केन्द्रीय करों और शुल्कों में उत्तर प्रदेश के अंश के अन्तर्गत प्राप्तियों की प्रवृत्ति तालिका 2.8 में दी गई है।

तालिका 2.8: 2018–23 की अवधि के दौरान केन्द्रीय कर हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी)	33757	33434	31611	45919	48136
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी)	2694	0	0	0	0
निगम कर	47563	40171	32258	45807	56507
आय पर कर से भिन्न निगम कर	35028	31477	33080	47482	55758
कस्टम शुल्क	9695	7468	5606	11922	6697
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	6442	5192	3577	6693	2101
सेवा कर	1252	0	475	2360	266
अन्य कर <sup>6</sup>	335	76	80	175	280
योग	136766	117818	106687	160358	169745
विगत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि प्रतिशत	13.09	(-)13.85	(-)9.45	50.31	5.85
राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों में केन्द्रीय कर हस्तांतरण का प्रतिशत	41.45	32.16	36.02	43.22	40.68

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों वित्त लेखे

तालिका 2.8 से स्पष्ट है कि वर्ष 2022–23 में राज्यांश के अन्तर्गत केन्द्रीय करों और शुल्कों से सम्बन्धित प्राप्तियों में वर्ष 2021–22 के सापेक्ष ₹ 9,387 करोड़ (5.85 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। केन्द्रीय करों और शुल्कों का अंश, राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों का 40.68 प्रतिशत था।

#### (ii) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

राज्य सरकार को भारत सरकार (जीओआई) से उप मुख्य शीर्षों जैसे केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए अनुदान, वित्त आयोग अनुदान और भारत सरकार से अन्य अन्तरण के अन्तर्गत सहायता अनुदान प्राप्त हुआ। वर्ष 2018–23 की अवधि के दौरान, भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की स्थिति तालिका 2.9 में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.9: 2018–23 की अवधि के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
केन्द्रीय प्रायोजित आयोजना-गत योजनाओं हेतु अनुदान					
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान (सीएसएस)	31250	25824	32342	31227	35575
वित्त आयोग अनुदान	9318	12965	16023	12306	12384

<sup>6</sup> इसमें सम्पत्ति पर कर, आय एवं व्यय पर अन्य कर, माल एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क सम्मिलित हैं।

शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राज्य/विधायिका वाले संघ/ राज्य क्षेत्र के लिए अन्य अन्तरण/अनुदान	2421	5255	9381	8316	11961
<b>योग</b>	<b>42989</b>	<b>44044</b>	<b>57746</b>	<b>51849</b>	<b>59920</b>
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	5.76	2.45	31.11	(-)10.21	15.57
राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष सहायता अनुदान की प्रतिशतता	13.03	12.02	19.50	13.98	14.36

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

**तालिका 2.9** से यह स्पष्ट है कि भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के विभिन्न घटकों के अन्तर्गत 2018–23 की अवधि के दौरान समग्र वृद्धि 39.38 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2018–19 में ₹ 42,989 करोड़ से बढ़कर 2022–23 में ₹ 59,920 करोड़ हो गई। तथापि, वर्ष 2022–23 में, विगत वर्ष की तुलना में सहायता अनुदान में 15.57 प्रतिशत (₹ 8,071 करोड़) की वृद्धि हुई थी। राज्य को वर्ष 2022–23 में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत ₹ 35,575 करोड़ प्राप्त हुए जो वर्ष 2021–22 की तुलना में 13.92 प्रतिशत अधिक था, जो मुख्यतः ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ₹ 6,894.58 करोड़ (130.63 प्रतिशत), चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा ₹ 642.68 करोड़ (91.81 प्रतिशत), महिला एवं बाल विकास द्वारा ₹ 1,075.79 करोड़ (71.36 प्रतिशत), पंचायती राज एवं युवा कल्याण द्वारा ₹ 336.48 करोड़ (104.75 प्रतिशत), प्राथमिक शिक्षा द्वारा ₹ 657.26 करोड़ (21.77 प्रतिशत) तथा अनुसूचित जाति कल्याण द्वारा ₹ 184.23 करोड़ (17.53 प्रतिशत) बढ़े हुए सहायता अनुदान प्राप्ति के कारण थी। तथापि, पुलिस विभाग द्वारा ₹ 22.93 करोड़ (70 प्रतिशत), नगर विकास विभाग द्वारा ₹ 1,749.88 करोड़ (31.30 प्रतिशत) तथा समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना) द्वारा ₹ 3,320.41 करोड़ (50.84 प्रतिशत) इत्यादि विभागों के अन्तर्गत सहायता अनुदान प्राप्ति थी।

**एकल नोडल एजेंसी**— वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अन्तर्गत राशि अवमुक्त करने की प्रक्रिया और एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) के माध्यम से अवमुक्त राशि के उपयोग की निगरानी करने के लिए अधिसूचित (मार्च 2021) किया था। राज्य सरकार से अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक सीएसएस को लागू करने के लिए एक एसएनए नामित करे। राज्य स्तर पर प्रत्येक सीएसएस के लिए, एसएनए एक एकल नोडल खाता, ऐसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में खोलेगा, जो राज्य सरकार द्वारा शासकीय कार्य करने के लिये प्राधिकृत हो। प्रक्रिया के अनुसार आरबीआई के अपने लेखे में प्राप्त केन्द्रांश एवं संगत राज्यांश को सम्बन्धित एसएनए के लेखे में हस्तांतरित करना है।

सीजीए के पीएफएमएस पोर्टल के अनुसार, राज्य सरकार को अपने कोषागार खातों में वर्ष 2022–23 के दौरान केन्द्रीय अंश के रूप में ₹ 32,239.40 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। वास्तविक व्यय के विस्तृत प्रमाणक एवं सहायक अभिलेख एसएनए से कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश को प्राप्त नहीं हुये थे। 31 मार्च 2023 तक, सरकार ने कोषागार खातों में प्राप्त ₹ 40,531.31 करोड़ का केन्द्रीय अंश और ₹ 38,533.68 करोड़ का राज्यांश एसएनए को हस्तांतरित कर दिया। सीजीए के

पीएफएमएस पोर्टल के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक एसएनए के बैंक खातों में ₹ 28,980.96 करोड़ बिना व्यय किए हुए पड़े हुए हैं।

**(क) 15वाँ वित्त आयोग अनुदान**

15वें वित्त आयोग ने राज्य सरकार को स्थानीय निकायों तथा राज्य आपदा अनुक्रिया निधि, राज्य आपदा जोखिम प्रबन्धन निधि के लिए सहायता अनुदान की अनुशंसा की थी। वर्ष 2020-23 के दौरान 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित, भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान और राज्य सरकार द्वारा अन्तरित अनुदान की धनराशि का विवरण तालिका 2.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.10: 2020-23 की अवधि के दौरान भारत सरकार से प्राप्त वित्त आयोग अनुदान  
(₹ करोड़ में)

विवरण	अनुशंसायें			भारत सरकार से प्राप्त अनुदान			राज्य सरकार द्वारा अन्तरित अनुदान		
	XV-वित्त आयोग	XV- वित्त आयोग	योग	2020-21से 2021-22	2022-23	योग	2020-21 से 2021-22	2022-23	योग
	2020-21 से 2021-22	2022-23							
<b>स्थानीय निकाय (आधारभूत एवं निष्पादन अनुदान)</b>									
(i) पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान	16960	7466	24426	16960	7466	24426	16960	7466	24426
(ii) नगरीय स्थानीय निकायों को अनुदान	8245	3677	11922	6099.25	3477.82	9577.07	6099.25	3477.82	9577.07
स्थानीय निकायों के लिये योग	25205	11143	36348	23059.25	10943.82	34003.07	23059.25	10943.82	34003.07
एसडीआरएफ/एसडीएमएफ*	3866	2030	5896	3479.40	1401.60	4881.00	3479.40	1401.60	4881.00
कुल योग	29071	13173	42244	26538.65	12345.42	38884.07	26538.65	12345.42	38884.07

स्रोत: 15वें वित्त आयोग के प्रतिवेदन एवं सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

\*राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (एसडीआरएफ)/राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ)

2022-23 की अवधि के दौरान, स्थानीय निकायों के लिए सहायता अनुदान के अन्तर्गत 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित कुल ₹ 7,466.00 करोड़ के अनुदान के सापेक्ष, राज्य सरकार को भारत सरकार से ₹ 7,466.00 करोड़ प्राप्त हुए। इसमें से राज्य सरकार ने ग्रामीण स्थानीय निकाय को पूर्ण धनराशि अवमुक्त कर दी। अग्रेतर, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित ₹ 3,677 करोड़ के कुल अनुदान के सापेक्ष, राज्य सरकार को भारत सरकार से ₹ 3,477.82 करोड़ प्राप्त हुए। राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान यूएलबी को पूरी राशि अवमुक्त की। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 में ₹ 199.18 करोड़ कम अवमुक्त किया गया। वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार ने शहरी/ग्रामीण स्थानीय निकायों को भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की पूरी राशि अवमुक्त कर दी थी।

15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार वर्ष 2022-23 की अवधि में ₹ 2,707 करोड़ एसडीआरएफ/एसडीएमएफ में जमा किये जाने थे, जिसमें एसडीआरएफ के लिए केन्द्रांश के रूप में ₹ 1,624 करोड़ और एसडीएमएफ के लिए केन्द्रांश के रूप में ₹ 406 करोड़

तथा राज्य सरकार को एसडीआरएफ के अंश के रूप में ₹ 541.60 करोड़ एवं एसडीएमएफ के अंश के रूप में ₹ 135.40 करोड़ जमा करना था। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के सापेक्ष भारत सरकार ने एसडीआरएफ/एसडीएमएफ के लिए ₹ 1,401.60 करोड़ अवमुक्त किया। इस प्रकार भारत सरकार ने निधि के लिए ₹ 628.40 करोड़ की कम राशि अवमुक्त की। राज्य सरकार ने अपने राज्य के अंश ₹ 677 करोड़ के सापेक्ष निधि के लिए ₹ 467.50 करोड़ अवमुक्त किया। इस प्रकार, राज्य सरकार ने ₹ 209.50 करोड़ कम अवमुक्त किया।

राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 के दौरान एसडीआरएफ के लिये केन्द्र के अंश के रूप में ₹ 812.00 करोड़ और राज्य के अंश के रूप में ₹ 270.80 करोड़ कुल ₹ 1,082.80 करोड़ तथा एसडीएमएफ के लिये केन्द्र के अंश के रूप में ₹ 589.60 करोड़ और राज्य के अंश के रूप में ₹ 196.70 करोड़ हस्तांतरित किए।

### 2.3.3 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ यथा विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋणों और अग्रिमों की वसूली, आन्तरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों से उधार आदि) से ऋण प्राप्तियाँ और भारत सरकार से ऋण और अग्रिम सम्मिलित हैं। पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि और संघटन में प्रवृत्तियाँ तालिका 2.11 में दर्शायी गयी हैं।

तालिका 2.11: वर्ष 2018-23 की अवधि में पूँजीगत प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
पूँजीगत प्राप्तियाँ	56908	79450	87994	76690	68184
(i) विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0	0	0	0	0
(ii) ऋण एवं अग्रिम की वसूली (गैर ऋण प्राप्तियाँ)	5313	5641	1135	939	1337
(iii) लोक ऋण प्राप्तियाँ, जिसमें से	51595	73809	86859	75751	66847
आन्तरिक ऋण	50791	72554	78677	65003	58024
आन्तरिक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.67	42.85	8.44	(-17.38)	(-10.74)
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	804	1255	8182*	10748*	8823
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	(-27.11)	56.09	551.95	31.36	(-17.91)
ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	8.81	43.05	17.68	(-12.79)	(-11.75)
गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	2151.27	6.17	(-79.88)	(-17.27)	42.39
जीएसडीपी की वृद्धि दर	9.88	7.45	(-3.22)	20.01	14.33
पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	19.42	39.61	10.75	(-12.85)	(-11.09)

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

\* भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम की धनराशि में जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति की कमी के सापेक्ष 2020-21 में ₹ 6,007 करोड़ तथा 2021-22 में ₹ 8,140 करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋण, जिस पर राज्य की कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं है, सम्मिलित हैं।

जैसा कि तालिका 2.11 से स्पष्ट है कि वर्ष 2022-23 में राज्य की पूँजीगत प्राप्तियों में ₹ 8,506 करोड़ की कमी हुई, जो वर्ष 2021-22 की तुलना में 11.09 प्रतिशत की कमी को दर्शाती है, जो विगत वर्ष की तुलना में आन्तरिक ऋण में 10.74 प्रतिशत एवं भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम में 17.91 प्रतिशत कम प्राप्ति के कारण थी। 2018-21 की

अवधि के दौरान आन्तरिक ऋण प्राप्तियों की उर्ध्वमुखी प्रवृत्ति थी लेकिन वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 में अधोमुखी प्रवृत्ति थी। भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों में 2018-23 की अवधि के दौरान उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति थी तथा 2021-22 के दौरान यह उच्चतम ₹ 10,748 करोड़ था जो कि जीएसटी क्षतिपूर्ति हेतु ₹ 8,140 करोड़ के बैक-टू-बैक ऋण के कारण था, जिसमें राज्य की कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं है क्योंकि इसे जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष में उपकर के संग्रह से पुनर्भुगतान किया जाना है।

वर्ष 2022-23 के दौरान ऋण और अग्रिमों की वसूली (₹ 1,337 करोड़) में विगत वर्ष (₹ 939 करोड़) की तुलना में 42.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि, वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान ऋण और अग्रिमों की उच्च वसूली मुख्य रूप से उदय योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष में ₹ 4,891.72 करोड़ की राशि के ऋण के एसपीएसई को सहायता अनुदान में रूपान्तरण के कारण हुई थी।

### 2.3.4 संसाधन जुटाने में राज्य का प्रदर्शन

संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का मूल्यांकन केन्द्रीय करों में राज्यांश और भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान को सम्मिलित किये बगैर स्वयं के कर राजस्व और करेतर राजस्व के सन्दर्भ में किया जाता है। वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य के स्वयं के कर राजस्व की प्राप्ति मध्यावधि राजकोषीय पुनर्संरचना नीति (एमटीएफआरपी) 2022 के अनुमान से 21.10 प्रतिशत कम और 15वें वित्त आयोग द्वारा किए गए अनुमान से 28.04 प्रतिशत अधिक थी, जैसा कि तालिका 2.12 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.12: वर्ष 2022-23 के दौरान अनुमान के सापेक्ष कर एवं करेतर प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष 2022-23 के लिये 15वें वित्त आयोग का अनुमान	बजट अनुमान/ एमटीएफआरपी 2022	वर्ष 2022-23 के लिये वास्तविक	वास्तविक के सापेक्ष प्रतिशत विचलन	
				15वें वित्त आयोग का अनुमान	बजट अनुमान/ एमटीएफआरपी 2022
स्वयं के कर राजस्व	135959	220655	174087	28.04	(-)21.10
करेतर राजस्व	35328	23406	13489	(-)61.82	(-)42.37

स्रोत: 15वें वित्त आयोग का प्रतिवेदन, राज्य सरकार का बजट अभिलेख 2022-23 एवं वित्त लेखे 2022-23

वर्ष 2022-23 में राज्य का स्वयं का कर राजस्व बजट अनुमान/एमटीएफआरपी 2022 में किए गए अनुमान की तुलना में काफी कम था। यह मुख्य रूप से एमटीएफआरपी 2022 के अनुमानों की तुलना में एसजीएसटी ₹ 24,123 करोड़, स्टाम्प और निबन्धन शुल्क ₹ 4,848 करोड़, राज्य आबकारी ₹ 7,900 करोड़ और बिक्री, व्यापार आदि पर कर ₹ 4,234 करोड़ के कम संग्रह के कारण था। तथापि, स्वयं के कर राजस्व जुटाने में राज्य का प्रदर्शन 15वें वित्त आयोग के अनुमानों से अच्छा था।


### 2.4 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार को राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों की संरचना के अन्तर्गत व्यय करने का उत्तरदायित्व निहित है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि राज्य की चल रही राजकोषीय सुधार और समेकन की प्रक्रिया पूँजीगत अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र के विकास हेतु किये गये व्यय की लागत पर नहीं हो। यह प्रस्तर उप-प्रस्तरों सहित राज्य में व्यय के आवंटन का विश्लेषण करता है।



संचित निधि के अन्तर्गत व्यय विशिष्ट कार्यों या सेवाओं के अनुरूप क्षेत्रों जैसे 'सामान्य सेवाएँ', 'सामाजिक सेवाएँ', 'आर्थिक सेवाएँ', 'सहायता अनुदान और अंशदान', 'लोक ऋण' और 'ऋण एवं अग्रिम' में वर्गीकृत किये जाते हैं। राज्य के समेकित निधि के अन्तर्गत श्रेणीवार व्यय की प्रवृत्ति को चार्ट 2.7 में प्रस्तुत किया गया है।


चार्ट 2.7: वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान में क्षेत्रवार व्यय की प्रतिशतता



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि चार्ट 2.7 से स्पष्ट है, 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में सामाजिक सेवाओं पर व्यय का अंश बढ़ा था, जबकि व्यय के अन्य क्षेत्रों में राज्य की समेकित निधि से कुल व्यय में उनके सम्बन्धित अंश में कमी देखी गयी। वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान राज्य की संचित निधि के अन्तर्गत घटकवार व्यय चार्ट 2.8 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.8: वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान राज्य की संचित निधि के अन्तर्गत घटकवार व्यय



स्रोत: वित्त लेखा 2022-23

**चार्ट 2.8** प्रस्तुत करता है कि वर्ष 2022-23 के दौरान, सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत राजस्व व्यय सबसे अधिक था, जो कुल व्यय का 28.60 प्रतिशत था, जिसमें राज्य के अंगों, वित्तीय सेवाओं, ब्याज भुगतान, प्रशासनिक सेवाओं और पेंशन पर व्यय सम्मिलित है। सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय कुल व्यय का 27.46 प्रतिशत था, जिसमें शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, समाज कल्याण एवं पुष्टाहार, जल आपूर्ति और स्वच्छता, शहरी विकास आदि पर व्यय सम्मिलित है। आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 15.49 प्रतिशत था जिसमें कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों, ग्रामीण विकास, सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण, ऊर्जा, उद्योग और खनिज, परिवहन आदि पर व्यय सम्मिलित है।

### व्यय की वृद्धि और संघटन

वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान राज्य की संचित निधि और इसकी संरचना के अन्तर्गत कुल व्यय को तालिका 2.13 में संक्षेपित किया गया है और चार्ट 2.9 में भी दर्शाया गया है।


तालिका 2.13: वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान कुल व्यय एवं इसकी संरचना

(₹ करोड़ में)

मापदण्ड	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कुल व्यय	370494	360951	351933	411237	483215
राजस्व व्यय	301728	298833	298543	337581	379978
पूँजीगत व्यय	62463	59998	52237	71443	93028
ऋण और अग्रिम	6303	2120	1153	1613	10209
आकस्मिकता निधि में विनियोग	0	0	0	600	0
जीएसडीपी की प्रतिशतता के रूप में					
कुल व्यय/जीएसडीपी	23.42	21.23	21.39	20.83	21.40
राजस्व व्यय/जीएसडीपी	19.07	17.58	18.15	17.10	16.83
पूँजीगत व्यय/जीएसडीपी	3.95	3.53	3.17	3.62	4.12
ऋण तथा अग्रिम/जीएसडीपी	0.40	0.12	0.07	0.08	0.45

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.9: 2018-23 की अवधि के दौरान घटकवार व्यय की प्रवृत्तियाँ



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

2018–23 की अवधि के दौरान, राज्य का कुल व्यय 2018–19 में ₹ 3,70,494 करोड़ से 30.42 प्रतिशत बढ़कर 2022–23 में ₹ 4,83,215 करोड़ हो गया। यह मुख्य रूप से राजस्व व्यय में ₹ 78,250 करोड़, पूँजीगत व्यय में ₹ 30,565 करोड़ और ऋण और अग्रिमों के संवितरण में ₹ 3,906 करोड़ की वृद्धि के कारण हुआ था। वर्ष 2022–23 की अवधि के दौरान, राजस्व व्यय कुल व्यय का 78.64 प्रतिशत और पूँजीगत व्यय कुल व्यय का 19.25 प्रतिशत था। इस प्रकार, कुल व्यय में राजस्व व्यय प्रमुख अंश था।

#### 2.4.1 राजस्व व्यय

सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले दायित्व के भुगतान के लिए राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार, इससे राज्य की अवसंरचना और सेवा तन्त्र में कोई वृद्धि नहीं होती है। राजस्व व्यय में मजदूरी और वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन, पूँजीगत कार्यों में संचालन और रखरखाव पर व्यय, सब्सिडी और स्थानीय निकायों, सहकारी समितियों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और अन्य को अन्तरण सम्मिलित हैं। राजस्व व्यय के मूल मापदण्ड तालिका 2.14 में दिए गए हैं।

तालिका 2.14: वर्ष 2018–23 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय के मूल मापदण्ड

(₹ करोड़ में)

मापदण्ड	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कुल व्यय (टीई)	370494	360951	351933	411237	483215
राजस्व व्यय (आरई)	301728	298833	298543	337581	379978
आरई की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.34	(-)0.96	(-)0.10	13.08	12.56
टीई के सापेक्ष राजस्व व्यय का प्रतिशत	81.44	82.79	84.83	82.09	78.64
आरई/जीएसडीपी (प्रतिशत)	19.07	17.58	18.15	17.10	16.83
राजस्व प्राप्ति	329978	366393	296176	371011	417241
राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर (प्रतिशत)	18.37	11.04	(-)19.16	25.27	12.46
राजस्व व्यय के रूप में राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर (प्रतिशत)	91.44	81.56	100.80	90.99	91.07
जीएसडीपी (₹ करोड़ में)	1582180	1700062	1645317	1974532	2257575
जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.88	7.45	(-)3.22	20.01	14.33
निम्न के सापेक्ष राजस्व व्यय का उछाल					
जीएसडीपी (अनुपात)	1.35	*	*	0.65	0.88
राजस्व प्राप्ति (अनुपात)	0.73	*	*	0.52	1.01

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे


\* चूँकि वृद्धि नकारात्मक थी, इसलिये उछाल की गणना नहीं की गयी।

राजस्व व्यय कुल व्यय का प्रमुख घटक बना रहा। तथापि, इसका अंश वर्ष 2018–19 में 81.44 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020–21 में 84.83 प्रतिशत हो गया, किन्तु वर्ष 2022–23 में घटकर 78.64 प्रतिशत हो गया। राजस्व व्यय की वृद्धि दर में वर्ष 2018–19 से 2022–23 के दौरान उतार-चढ़ाव बना रहा, यह वर्ष 2018–19 में 13.34 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2020–21 में 0.10 प्रतिशत हो गया और पुनः वर्ष 2022–23 में बढ़कर 12.56 प्रतिशत हो गया। जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय में 2018–23 की

अवधि के दौरान उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गयी। यह वर्ष 2018-19 में उच्चतम (19.07 प्रतिशत) और वर्ष 2022-23 में निम्नतम (16.83 प्रतिशत) था। जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व व्यय उछाल, जीएसडीपी में प्रतिशत परिवर्तन के सापेक्ष राजस्व व्यय में प्रतिशत परिवर्तन को मापता है। जैसा कि तालिका 2.14 से स्पष्ट है कि वर्ष 2022-23 के दौरान जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व व्यय में उछाल 0.88 तथा राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष उछाल 1.01 था।

राजस्व व्यय वर्ष 2021-22 में ₹ 3,37,581 करोड़ से ₹ 42,397 करोड़ (12.56 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 3,79,978 करोड़ हो गया। वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से सामान्य शिक्षा में ₹ 8,531.85 करोड़, ऊर्जा पर ₹ 7,410.72 करोड़, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर ₹ 5,313.49 करोड़, समाज कल्याण पर ₹ 5,148.55 करोड़, नागरिक आपूर्ति पर ₹ 2,235.20 करोड़, स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों को ₹ 1,500.01 करोड़ की प्रतिपूर्ति और असाइनमेंट, शहरी विकास पर ₹ 1,146.82 करोड़, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर ₹ 1,035.66 करोड़ थी, जिसे मुख्य रूप से श्रम रोजगार एवं कौशल विकास के अन्तर्गत ₹ 1,756.12 करोड़ तथा प्राकृतिक आपदा के कारण राहत पर ₹ 1,478.44 करोड़ कम व्यय से प्रति-संतुलित किया गया है। सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं साथ ही आर्थिक सेवाओं पर वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व व्यय चार्ट 2.10 में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 2.10: वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण



स्रोत: वर्ष 2022-23 के वित्त लेखे

#### 2.4.1.1 प्रतिबद्ध और गैर-प्रतिबद्ध व्यय


राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के व्यय को प्रतिबद्ध और गैर-प्रतिबद्ध व्यय में वर्गीकृत किया जा सकता है। राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्य रूप से वेतन और मजदूरी, पेंशन भुगतान और ब्याज भुगतान पर व्यय सम्मिलित है। यह सरकार के संसाधनों पर सर्वप्रथम भारित है।

प्रतिबद्ध व्यय से इतर अनम्य व्यय की कुछ मदें हैं जिन्हें साधारण तौर पर बदला या भिन्न नहीं किया जा सकता है या जो वार्षिक आधार पर वैधानिक रूप से आवश्यक हैं। परिवर्तनीय लेनदेन के विपरीत जैसे-पूँजीगत व्यय निम्नलिखित मदों को अनम्य व्यय के रूप में माना जा सकता है:

- स्थानीय निकायों को हस्तांतरण – वेतन एवं भत्ते के लिए स्थानीय निकायों को वैधानिक हस्तांतरण (व्यय के लिए हस्तांतरण)
- आरक्षित निधियों में योगदान की वैधानिक आवश्यकताएं-समेकित निक्षेप निधि (सीएसएफ), प्रत्याभूति विमोचन निधि (जीआरएफ), अनुक्रिया निधि/ राज्य आपदा शमन (एसडीएमएफ/एसडीआरएफ) आदि में योगदान
- आकस्मिकता निधि की वसूली – वर्ष के अंदर वसूल की गई राशि
- उपकर को आरक्षित निधि/अन्य निकाय में स्थानांतरित करना, जो वैधानिक रूप से आवश्यक है
- प्राप्त केन्द्रीय निधि के सापेक्ष केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का राज्यांश
- ब्याज वाली निधियों की शेष राशि पर ब्याज का भुगतान, जैसे कि उन्हें निवेश किया जा सकता था और लोक ऋण पर ब्याज का भुगतान, जैसा कि लगाया गया है
- व्यय – ब्याज भुगतान

प्रतिबद्ध व्यय से इतर अन्य व्यय को गैर-प्रतिबद्ध व्यय में वर्गीकृत किया जा सकता है। 2018-23 की अवधि के दौरान प्रतिबद्ध और गैर-प्रतिबद्ध व्यय के अंश की प्रवृत्ति को चार्ट 2.11 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.11: राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध एवं गैर प्रतिबद्ध व्यय का अंश



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

**प्रतिबद्ध व्यय**

2018-23 की अवधि के दौरान घटकवार प्रतिबद्ध व्यय तालिका 2.15 में दिया गया है।

तालिका 2.15 : 2018-23 की अवधि के दौरान प्रतिबद्ध एवं अनम्य व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
वेतन एवं मजदूरी	91413	100188	97540	108775	121188
(i) वेतन	50471	53508	50333	54727	60061
(ii) मजदूरी	1062	1357	2363	2500	2719
(iii) सहायता अनुदान (वेतन)	39880	45323	44844	51548	58408
पेंशन पर व्यय	44024	49603	48219	50475	58697
ब्याज भुगतान	32042	34813	37428	42876	43008
<b>प्रतिबद्ध व्यय का योग</b>	<b>167479</b>	<b>184604</b>	<b>183187</b>	<b>202126</b>	<b>222893</b>
अनम्य व्यय के घटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
स्थानीय निकाय को वैधानिक हस्तांतरण	12100	14500	14208	16500	18000
आरक्षित निधि को अंशदान	30097	6199	5431	8950	8674
आकस्मिकता निधि का आपूरण	230	662	0	700	0
प्राप्त केन्द्रीय निधि के सापेक्ष सीएसएस का अंशदान	19196	17020	22161	22366	30056
बीओसीडब्लू को उपकर का हस्तांतरण	10	9.96	10	9.77	40.10
<b>योग</b>	<b>61633</b>	<b>38390.96</b>	<b>41810</b>	<b>48525.77</b>	<b>56770.10</b>
<b>राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में</b>					
<b>प्रतिबद्ध व्यय</b>					
वेतन एवं मजदूरी	27.70	27.34	32.93	29.32	29.05
पेंशन पर व्यय	13.34	13.54	16.28	13.60	14.07
ब्याज भुगतान	9.71	9.50	12.64	11.56	10.31
<b>योग</b>	<b>50.75</b>	<b>50.38</b>	<b>61.85</b>	<b>54.48</b>	<b>53.43</b>
<b>अनम्य व्यय</b>	<b>18.68</b>	<b>10.48</b>	<b>14.12</b>	<b>13.08</b>	<b>13.61</b>
<b>महायोग</b>	<b>69.43</b>	<b>60.86</b>	<b>75.97</b>	<b>67.56</b>	<b>67.04</b>
<b>राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में</b>					
वेतन एवं मजदूरी	30.30	33.53	32.67	32.22	31.89
पेंशन पर भुगतान	14.59	16.60	16.15	14.95	15.45
ब्याज भुगतान	10.62	11.65	12.54	12.70	11.32
<b>योग</b>	<b>55.51</b>	<b>61.78</b>	<b>61.36</b>	<b>59.87</b>	<b>58.66</b>
<b>अनम्य व्यय</b>	<b>20.43</b>	<b>12.85</b>	<b>14.00</b>	<b>14.37</b>	<b>14.94</b>
<b>महायोग</b>	<b>75.94</b>	<b>74.63</b>	<b>75.37</b>	<b>74.24</b>	<b>73.60</b>
गैर प्रतिबद्ध राजस्व व्यय*	134249	114229	115320	135455	157085
राजस्व व्यय का प्रतिशत	44.49	38.23	38.63	40.13	41.34
कुल व्यय का प्रतिशत	36.24	31.65	32.77	32.94	32.51

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

\* प्रतिबद्ध व्यय को छोड़कर कुल राजस्व व्यय

प्रतिबद्ध व्यय, व्यय की प्राथमिकता तय करने और सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूंजी निवेश को पूरा करने में राज्य को प्रभावित करता है। राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के सापेक्ष प्रतिबद्ध व्यय का उच्च अनुपात यह इंगित करता है कि राज्य के पास नई योजनाओं के लिए अपने संसाधनों के आवंटन में सीमित लचीलापन है। तालिका 2.15 से स्पष्ट है कि वर्ष 2018–23 की अवधि के दौरान प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति पायी गयी, सिवाय वर्ष 2020–21 के जिसमें थोड़ी कमी आयी। प्रतिबद्ध व्यय के घटक-वार विवरण पर नीचे चर्चा की गई है।

#### वेतन एवं मजदूरी पर व्यय

राज्य सरकार में 31 मार्च 2022 को 12,58,329 स्वीकृत पद थे। वर्ष 2022–23 के दौरान, राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन पर व्यय ₹ 60,061 करोड़ था। यह राजस्व प्राप्तियों (₹ 4,17,241 करोड़) का 14.39 प्रतिशत और राजस्व व्यय (₹ 3,79,978 करोड़) का 15.81 प्रतिशत था। तथापि, मानक मद 'सहायक अनुदान-सामान्य (वेतन)', 'संशोधित वेतन का बकाया (राज्य सहायता)<sup>7</sup> और 'मजदूरी' के व्यय को सम्मिलित करते हुए वेतन मद पर कुल व्यय ₹ 1,21,188 करोड़ था, जो राजस्व प्राप्तियों का 29.05 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 31.89 प्रतिशत है।

वर्ष 2022–23 में वेतन एवं मजदूरी पर व्यय में विगत वर्ष 2021–22 की तुलना में 11.41 प्रतिशत (₹ 12,413 करोड़) की वृद्धि हुई, जो कि मुख्य रूप से मंहगाई भत्ता (₹ 4,613 करोड़) और सहायक अनुदान-सामान्य (वेतन) (₹ 6,861 करोड़) के अधिक संवितरण के कारण थी।

#### ब्याज भुगतान

राज्य सरकार द्वारा आन्तरिक ऋण, लघु बचत, भविष्य निधि, केन्द्र सरकार के ऋण और अग्रिमों आदि पर ब्याज भुगतान का लेखा-जोखा मुख्य शीर्ष 2049-ब्याज भुगतान के अन्तर्गत किया जाता है। वर्ष 2018–23 की अवधि के दौरान, ब्याज के भुगतान पर व्यय 7.64 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के साथ ₹ 32,042 करोड़ से बढ़कर ₹ 43,008 करोड़ हो गया। वर्ष 2021–22 की तुलना में, वर्ष 2022–23 में ब्याज भुगतान में 0.31 प्रतिशत की वृद्धि, मुख्य रूप से केन्द्र सरकार को ऋण एवं अग्रिम पर ₹ 86 करोड़ कम ब्याज भुगतान के कारण हुई।

अग्रेतर, राज्य सरकार ने परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (डीसीपीएस) के अन्तर्गत, लेखाशीर्ष '2071-01-117-09-विलम्ब से जमा ग्राहक अंशदान पर ब्याज का भुगतान' के अन्तर्गत ₹ 4.00 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया। इसके अलावा, लेखाशीर्ष '2071-01-117-08 में दिनांक 31.03.2019 तक देय अवशेष नियोक्ता योगदान/देर से जमा नियोक्ता योगदान पर ब्याज' के अन्तर्गत ₹ 8.38 करोड़ का भुगतान किया था। संघ और राज्यों के मुख्य और लघु लेखा शीर्ष की सूची (एलएमएमएच) के अनुसार, डीसीपीएस पर ब्याज 2049-03-117 शीर्ष के अन्तर्गत पुस्तांकित किया जाना आवश्यक है। मुख्य शीर्ष 2071 के अन्तर्गत डीसीपीएस पर बजट का प्रावधान और ब्याज का भुगतान

<sup>7</sup> प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं सहायता प्राप्त संस्थाओं, स्वायत्त निकायों इत्यादि के कर्मचारियों से सम्बन्धित।

एलएमएमएच का उल्लंघन था, जिससे ये मुख्य शीर्ष 2049 के अन्तर्गत ब्याज व्यय में कम था।

### पेंशन भुगतान

राज्य में दिनांक 31 मार्च 2022 को 11,59,223 पेंशनभोगी थे। 2018-23 की अवधि के दौरान पेंशन भुगतान पर वार्षिक व्यय ₹ 44,024 करोड़ से ₹ 58,697 करोड़ के मध्य विस्तारित था। वर्ष 2022-23 में, पेंशन पर व्यय धनराशि ₹ 58,697 करोड़ था, जो कि विगत वर्ष (₹ 50,475 करोड़) के सापेक्ष 16.29 प्रतिशत उच्च था। यह अधिकता मुख्य रूप से अधिवार्षिकी व सेवानिवृत्ति भत्ते में (₹ 1,753.65 करोड़), पेंशन सारांशीकरण मूल्य में (₹ 505.36 करोड़), राज्य सहायतित शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों के पेंशन में (₹ 1,373.90 करोड़) तथा डीसीपीएस के लिये शासकीय अभिदान में (₹ 1,468.13 करोड़) वृद्धि के कारण थी। वर्ष 2022-23 में पेंशन पर व्यय कुल राजस्व प्राप्तियों का 14.07 प्रतिशत तथा कुल राजस्व व्यय का 15.45 प्रतिशत था।

### अनम्य व्यय

अनम्य व्यय के घटक, जिसमें स्थानीय निकायों को वैधानिक हस्तांतरण और आरक्षित निधि में योगदान सम्मिलित हैं, में वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान निरन्तर वृद्धि देखी गई। वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में अनम्य व्यय 10.48 प्रतिशत से 18.68 प्रतिशत के मध्य था और राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में अनम्य व्यय 12.85 प्रतिशत से 20.43 प्रतिशत के मध्य था।

### 2.4.1.2 सब्सिडी

राज्य सरकार कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभागों, उद्योग विभाग, ऊर्जा विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान प्रदान करती है, जिसका विस्तृत विवरण वित्त लेखे के परिशिष्ट- II में दिया गया है। 2018-23 की अवधि के दौरान प्रदान की गई सब्सिडी का विवरण तालिका 2.16 में दिया गया है।

तालिका 2.16: वर्ष 2018-23 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
सब्सिडी, जिसमें सम्मिलित हैं (₹ करोड़ में)	14053	14092	11677	20145	21267
ऊर्जा सब्सिडी (₹ करोड़ में)	8370	8920	6057	13388	14361
राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	4.26	3.85	3.94	5.43	5.10
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	4.66	4.72	3.91	5.97	5.60
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	3.79	3.90	3.32	4.90	4.40
कुल सब्सिडी के प्रतिशत के रूप में ऊर्जा सब्सिडी	59.56	63.30	51.87	66.46	67.53

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे



सब्सिडी पर व्यय वर्ष 2018–19 से 2022–23 के दौरान उतार चढ़ाव भरा रहा। यद्यपि, यह वर्ष 2018–19 में ₹ 14,053.00 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022–23 में ₹ 21,267.00 करोड़ हो गया, यह वर्ष 2020–21 में न्यूनतम ₹ 11,677.00 करोड़ था। वर्ष 2022–23 के दौरान ₹ 21,267.00 करोड़ की सब्सिडी राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय का क्रमशः 5.10 प्रतिशत और 5.60 प्रतिशत था। इसमें केन्द्र प्रायोजित के अन्तर्गत ₹ 1,564.07 करोड़ की केन्द्रीय सहायता भी सम्मिलित है। विगत वर्ष 2021–22 की तुलना में वर्ष 2022–23 के दौरान सब्सिडी में कुल वृद्धि (₹ 1,112.00 करोड़) मुख्य रूप से 'निजी नलकूपों के उपभोक्ताओं के टैरिफ पर 50 प्रतिशत की छूट ₹ 1,250.00 करोड़ के कारण यूपीपीसीएल को अनुदान', 'उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को विद्युत कर पर भुगतान की गई राशि के सापेक्ष राजस्व प्रतिपूरक अनुदान' ₹ 1,050.00 करोड़, 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' (जनजातीय कल्याण) ₹ 252.00 करोड़, जो 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के तहत सब्सिडी ₹ 635.00 करोड़, 'स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना' ₹ 640.00 करोड़ की कम सब्सिडी से प्रतिसंतुलित थी।

#### 2.4.1.3 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता, अनुदान और ऋण के रूप में प्रदान की जाती है। 2018–23 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की गई सहायता की मात्रा तालिका 2.17 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 2.17: 2018–23 के दौरान स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
(क) स्थानीय निकाय					
शहरी स्थानीय निकाय (नगर निगम एवं नगर पालिकाएं)	3081.35	9059.97	15115.15	13610.89	9802.01
पंचायती राज संस्थाएं (जिला परिषद एवं ग्राम पंचायतें)	16209.80	12517.71	10412.00	7635.03	8109.70
योग (क)	<b>19291.15</b>	<b>21577.68</b>	<b>25527.15</b>	<b>21245.92</b>	<b>17911.71</b>
(ख)सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम(सरकारी कंपनियां और सांविधिक निगम)	7053.03	8940.17	7018.39	7391.59	10054.20
(ग)स्वायत्त निकाय(विश्वविद्यालय, विकास प्राधिकरण, सहकारी संस्थाएं एवं अन्य)	6436.96	37393.78	35251.87	44342.71	48527.42
(घ)गैर-सरकारी संगठन	181.61	7140.75	7040.51	7924.10	9340.91
(च)विविध	58801.38	18282.08	24050.46	19941.12	35527.75
योग(ख +ग+घ+च)	<b>72472.98</b>	<b>71756.78</b>	<b>73361.23</b>	<b>79599.52</b>	<b>103450.28</b>
महायोग(क+ख+ग+घ+च)	<b>91764.13</b>	<b>93334.46</b>	<b>98888.38</b>	<b>100845.44</b>	<b>121361.99</b>
वेतन पर भारत सरकार की सहायता	39880.53	45322.82	44844.40	51547.02	58408.44
पूँजीगत परिसम्पत्ति निर्माण पर भारत सरकार की सहायता	6089.49	6821.79	11208.64	12028.65	10955.37

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
गैर-वेतन पर भारत सरकार की सहायता	45794.09	41189.87	42799.84	37268.51	51998.17
वस्तु के रूप में भारत सरकार की सहायता	राज्य सरकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई				
पिछले वर्ष की तुलना में भारत सरकार की सहायता की वृद्धि दर	(-) 0.50	1.71	5.95	1.98	20.34
राजस्व व्यय	<b>301728</b>	<b>298833</b>	<b>298543</b>	<b>337581</b>	<b>379978</b>
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	30.41	31.23	33.12	29.87	31.94

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य अनुदानग्राही संस्थाओं को सहायता अनुदान के माध्यम से ₹ 1,21,361.99 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी। इसमें सम्मिलित हैं : शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान (₹ 9,802.01 करोड़), पंचायती राज संस्थाओं (₹ 8,109.70 करोड़), सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (₹ 10,054.20 करोड़), स्वायत्त निकाय (₹ 48,527.42 करोड़), गैर सरकार संगठन (₹ 9,340.91 करोड़), और विविध (₹ 35,527.75 करोड़) जिसमें मुख्यतः केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अवमुक्त सहायता अनुदान में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (₹ 5,520.47 करोड़), केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के राज्य का अंश (₹ 3,944.16 करोड़), शासकीय विभागों के बकाया बिजली के बिलों का भुगतान (₹ 3,500 करोड़), ऋण चुकाने के लिये यूपीईआईजीए को सहायता (₹ 1,744.66 करोड़), अंधे, मूक, बधिर और शारीरिक रूप से विकलांगों के लिये भरण पोषण (₹ 1,184.11 करोड़), निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण और उनके बच्चों की शिक्षा के लिये अनुदान (₹ 3,304.24 करोड़), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (₹ 1,620.78 करोड़), वृद्धावस्था/किसान पेंशन (₹ 4,062.98 करोड़) इत्यादि।

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य अनुदानग्राही संस्थाओं को सहायता अनुदान वर्ष 2021-22 की तुलना में 20.34 प्रतिशत (₹ 20,516.55 करोड़) अधिक थी। वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान इसमें ₹ 29,597.86 करोड़ (32.25 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। अग्रेतर, यह राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वर्ष 2018-19 में 30.41 से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 31.94 प्रतिशत हो गयी।

पंचायती राज संस्थाओं को सहायता वर्ष 2018-19 में ₹ 16,209.80 करोड़ से घटकर वर्ष 2022-23 में ₹ 8,109.70 करोड़ हो गयी। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार द्वारा पीआरआई को अवमुक्त सहायता अनुदान, 15वें वित्त आयोग के सापेक्ष भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के अन्तर्गत ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिये (₹ 7,466.00 करोड़) एवं केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता (₹ 643.70 करोड़) का हस्तांतरण था। वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान 15वें वित्त आयोग के अनुदान के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को जारी सहायता अनुदान में ₹ 258 करोड़ और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में ₹ 217 करोड़ की वृद्धि हो गयी।

नगरीय स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता 2018–19 में ₹ 3,081.35 करोड़ से बढ़कर 2020–21 में ₹ 15,115.15 करोड़ हो गई। तथापि, वर्ष 2022–23 के दौरान यह घटकर ₹ 9,802.01 करोड़ हो गया। वर्ष 2022–23 के दौरान, वर्ष 2021–22 की तुलना में सहायता अनुदान में ₹ 3,808.88 करोड़ (28 प्रतिशत) की कमी आई। तथापि, स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत ₹ 1,225 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना (सामान्य) के अन्तर्गत ₹ 1,258 करोड़, वित्त आयोग अनुदान में ₹ 1,716.57 करोड़ की वृद्धि थी। यूएलबी को दी गई सहायता में पूँजीगत सम्पत्ति के निर्माण के लिए सहायता ₹ 6,233.34 करोड़ सम्मिलित थी।

अग्रेतर, 2022–23 के दौरान वेतन और गैर-वेतन उद्देश्य के लिए दी गई वित्तीय सहायता विगत वर्ष की तुलना में बढ़ गई थी, जबकि पूँजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता पिछले वर्ष की तुलना में कम हो गई थी। आगे यह देखा गया कि विगत पाँच वर्षों के दौरान वेतन घटक पर सहायता में लगातार वृद्धि हुई।

#### 2.4.1.4 स्थानीय निकायों को राजकोषीय हस्तान्तरण पर राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों की अनुपालना

संविधान का अनुच्छेद 243 आई (अनुच्छेद 243 वाई के साथ पठित) यह प्रावधानित करता है कि राज्य सरकार के लिये पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों (यूएलबी) की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिये प्रत्येक पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) का गठन करना अनिवार्य है और अन्य बातों के साथ राज्य द्वारा लगाये जाने वाले करों, शुल्कों, टोल्स एवं फीस की निवल आय को राज्य एवं पंचायती राज संस्थाओं/नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य वितरण की अनुशंसा करता है।

राज्य सरकार ने दिसम्बर 2011 और अक्टूबर 2015 में क्रमशः चौथा एवं पाँचवां एसएफसी गठित किया था और इनकी रिपोर्ट दिसम्बर 2014 और अक्टूबर 2018 में राज्यपाल को प्रस्तुत की गयी एवं उनकी अनुशंसा क्रमशः अप्रैल 2015 और अप्रैल 2020 में लागू की गयी थी। स्वीकृत अनुशंसाओं के अनुसार, राज्य सरकार को राज्य के स्वयं के कर राजस्व के निवल आय का 12.5 प्रतिशत भाग को नगरीय स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं के मध्य 60:40 के अनुपात में वितरित किया जाना था। 2018–19 से 2022–23 की अवधि के दौरान यूएलबी एवं पीआरआई को एसएफसी अनुदान का हस्तांतरण तालिका 2.18 में दिया गया है।

तालिका 2.18: 2018–23 के दौरान पीआरआई एवं यूएलबी को निधि का हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	चौथा एसएफसी हस्तांतरण			पाँचवा एसएफसी हस्तांतरण	
	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
यूएलबी	7312.50	8700.00	8525.00	9900.00	10800.00
पीआरआई	4875.00	5800.00	5683.37	6600.00	7200.00
<b>योग</b>	<b>12187.50</b>	<b>14500.00</b>	<b>14208.37</b>	<b>16500.00</b>	<b>18000.00</b>


स्रोत: नगरीय स्थानीय निकाय निदेशालय एवं पंचायती राज निदेशालय

वर्ष 2020–21 को छोड़कर, 2018–19 से 2022–23 के दौरान यूएलबी एवं पीआरआई को एसएफसी अनुदान के हस्तांतरण में लगातार वृद्धि हुई। 2021–22 की तुलना में 2022–23 के दौरान स्थानीय निकायों के हस्तांतरण में 9.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

## 2.4.2 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय (कैपेक्स) मुख्य रूप से सड़कों, भवनों, आदि जैसे अचल अवसंरचना सम्पत्तियों के सृजन पर होने वाला व्यय है। राज्य सरकार के लिए अपने निवेश पर पर्याप्त प्रतिफल अर्जित करने, उधार ली गई निधि की लागत वसूल करने और वित्तीय संक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के उपाय हेतु पहल की आवश्यकता है। 2018-23 की अवधि के दौरान पूँजीगत व्यय और कुल व्यय से इसके प्रतिशत को चार्ट 2.12 में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 2.12: 2018-23 की अवधि के दौरान राज्य में पूँजीगत व्यय



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.12 से स्पष्ट है कि 2018-23 की अवधि के दौरान कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत व्यय 14.84 प्रतिशत और 19.25 प्रतिशत के बीच रहा और यह वर्ष 2022-23 में उच्चतम था। कुछ मुख्य शीर्षों जहाँ वर्ष 2022-23 के दौरान पूँजीगत व्यय महत्वपूर्ण रूप से अधिक था, तालिका 2.19 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.19: वर्ष 2022-23 के दौरान मुख्य शीर्षवार पूँजीगत व्यय

क्रम संख्या	प्रमुख शीर्ष और उसका नाम	प्रमुख गतिविधि/योजना	धनराशि (₹ करोड़ में)
1	4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय	जलजीवन मिशन (₹ 8118.56 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना (₹ 3940.23 करोड़)	12227.32
2	4801-ऊर्जा परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए (₹ 3034.27 करोड़), ग्रीष्म काल में राज्य में बिजली की निर्बाध आपूर्ति (₹ 1000 करोड़) के लिए उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड को अंशपूँजी	10220.50
3	4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय	पीएम आवास योजना-ग्रामीण (₹ 4770.36 करोड़), केन्द्र प्रायोजित योजना का संगत राज्यांश (₹ 3180.24 करोड़)	8984.05

क्रम संख्या	प्रमुख शीर्ष और उसका नाम	प्रमुख गतिविधि/योजना	धनराशि (₹ करोड़ में)
4	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	राष्ट्रीय ग्रामीण सुनिश्चित रोजगार योजना (₹ 4224.99 करोड़), केन्द्र प्रायोजित योजना का संगत राज्यांश (₹ 1284.56 करोड़)	7211.41
5	4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	केन्द्र प्रायोजित योजना का संगत राज्यांश (₹ 1090.66 करोड़), आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना (₹ 110.00 करोड़), 15वां वित्त आयोग (₹ 473.00 करोड़)	3789.20
6	4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	नये शहरों का समग्र और उचित विकास (₹ 1000.00 करोड़), दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना (₹ 1306.00 करोड़)	3204.53
7	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	प्रारम्भिक शिक्षा-केन्द्रीय योजना/केन्द्र प्रायोजित योजना (₹ 867.39 करोड़), प्रारम्भिक शिक्षा-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में राज्य का हिस्सा (₹ 508.26 करोड़), अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना (₹ 417.44 करोड़), वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण (₹ 121.28 करोड़)	3195.59
8	4055-पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	पुलिस विभाग के गैर आवासीय भवन का निर्माण (₹ 1362.82 करोड़), पुलिस विभाग के आवासीय भवन का निर्माण (₹ 579.10 करोड़), नव निर्मित जिलों में आवासीय/गैर आवासीय भवनों का निर्माण (₹ 263.92 करोड़)।	3138.21
9	5033- नागरिक उड्डयन पर पूँजीगत परिव्यय	हवाई पट्टियों का निर्माण, विस्तार और सुदृढ़ीकरण और भूमि का अधिग्रहण (₹ 1246.77 करोड़), जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना (₹ 661.21 करोड़)	2013.77

स्रोत: वित्त लेखे 2022-23

वर्ष 2022-23 के दौरान पूँजीगत व्यय ₹ 93,028.39 करोड़ था। वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान इसमें ₹ 21,586 करोड़ (30 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। सामान्य सेवा क्षेत्र में ₹ 2,092 करोड़ (88.80 प्रतिशत) मुख्यतः पुलिस, एवं लोक निर्माण ₹ 16,480 करोड़ (88.75 प्रतिशत), सामाजिक सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत चिकित्सा एवं लोक, स्वास्थ्य, जलापूर्ति एवं स्वच्छता और आवास में एवं आर्थिक सेवा क्षेत्र में ₹ 3,013 करोड़ (5.96 प्रतिशत) मुख्यतः खाद्य भण्डारण एवं भण्डारगृह और अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कारण थी।

#### 2.4.2.1 पूँजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन

वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 के लिए विभिन्न मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत पूँजीगत व्यय में मुख्य परिवर्तनों का विवरण तालिका 2.20 में दिया गया है।

तालिका 2.20 : विभिन्न मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत 2022-23 के दौरान पूँजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन  
(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखाशीर्ष	2021-22	2022-23	वृद्धि (+)/ कमी (-) (प्रतिशत)
4215- जल आपूर्ति एवं स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय	3965.72	12227.32	8261.60 (208)
4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय	3751.67	7211.41	3459.74 (92)
4217- शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	1179.08	3204.53	2025.45 (172)
5053- नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय	105.02	2013.77	1908.75 (1817)
4202- शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	1632.25	3195.59	1563.34 (96)
4055- पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	1599.85	3138.21	1538.36 (96)
4408- खाद्य भण्डारण एवं भण्डारगृह पर पूँजीगत परिव्यय	7481.74	3233.01	-4248.73 (-57)

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत वृद्धि/कमी का प्रमुख कारण नीचे दिया गया है:

**मुख्य शीर्ष 4215 (जल आपूर्ति एवं स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय):** वृद्धि मुख्य रूप से जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ₹ 5,737.97 करोड़ तथा अनुसूचित जाति के लिये विशेष घटक योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय योजना/केन्द्र पुनरोधित योजना में ₹ 2,440.12 करोड़ अधिक व्यय के कारण हुई।

**मुख्य शीर्ष 4217 (शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय):** यह मुख्यतः नये शहरों के समग्र और उचित विकास पर ₹ 1,000.00 करोड़ और दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना पर ₹ 736.00 करोड़ की वृद्धि के कारण है।

**मुख्य शीर्ष 4515 (अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय):** वृद्धि मुख्यतः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत ₹ 2,047.25 करोड़ तथा केन्द्र प्रायोजित योजना का संगत राज्यांश ₹ 1,284.56 करोड़ के अधिक व्यय के कारण थी।

**मुख्य शीर्ष 5053 (नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय):** इसका मुख्य कारण हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार और सुदृढीकरण और भूमि अधिग्रहण पर ₹ 1,204.21 करोड़ की वृद्धि और गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना पर ₹ 588.79 करोड़ की वृद्धि है।

**मुख्य शीर्ष 4202 (शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय):** मुख्य रूप से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अनुरूप राज्यांश पर ₹ 508.26 करोड़, केन्द्रीय योजना/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं पर ₹ 489.21 करोड़ और सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना पर ₹ 147.44 करोड़ की वृद्धि के कारण है।

**मुख्य शीर्ष 4408 (खाद्य भण्डारण एवं भण्डारगृह पर पूँजीगत परिव्यय):** कमी मुख्य रूप से विगत वर्ष के सापेक्ष केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न आपूर्ति परियोजना में ₹ 4,696.81 करोड़ कम व्यय के कारण हुई।

#### 2.4.2.2 पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता

यह खण्ड राज्य सरकार द्वारा किए गये पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

##### (i) एसपीएसई में निवेश की गुणवत्ता

सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उद्यम जो घाटे में चल रहे हैं या जहाँ निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया है, पूँजीगत व्यय, किया गया निवेश और दिया गया ऋण धारणीय नहीं है और पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित किया है। एसपीएसई में निवेश की गुणवत्ता से सम्बन्धित प्रकरण यथा अक्रियाशील एसपीएसई में निवेश, वार्षिक लेखा प्रस्तुत करने में बकाया, एसपीएसई को बजटीय सहायता, निवल मूल्य का क्षरण आदि पर प्रतिवेदन के अध्याय पाँच में विभिन्न प्रस्तरो के अन्तर्गत विस्तार से चर्चा की गई है।

कम्पनियों, निगमों और सहकारी बैंकों तथा सोसाइटियों में निवेश पर प्रतिफल के रुझान, सरकारी उधार की लागत और निवेश पर प्रतिफल के मध्य अन्तर तालिका 2.21 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.21 : निवेश पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	निवेश/प्रतिफल/ उधारियों की लागत	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	वर्ष के अन्त में निवेश <sup>8</sup>	118532	127630	139495	151521	164001
2	प्रतिफल	175.48	39.04	104.83	212.58	141.32
3	प्रतिफल (प्रतिशत)	0.15	0.03	0.08	0.14	0.09
4	सरकार की उधारियों एवं दायित्वों पर औसत ब्याज दर <sup>9</sup> (प्रतिशत)	6.50	6.82	7.01	7.28	6.74
5	ब्याज दर एवं प्रतिफल के मध्य अन्तर (प्रतिशत)	6.35	6.79	6.93	7.14	6.65
6	सरकारी उधारियों एवं निवेश पर प्रतिफल के मध्य में अन्तर	7527	8666	9667	10819	10906

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2022-23 के दौरान निवेश पर प्रतिफल ₹ 141.32 करोड़ (0.09 प्रतिशत) था। 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान निवेश पर प्रतिफल 0.03 प्रतिशत से 0.15 प्रतिशत के बीच था, जबकि इसी अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा अपनी उधारी

<sup>8</sup> यह आँकड़े वित्त लेखे के विवरण 19 (खण्ड 2) के अनुसार है। विवरण 19 (खण्ड 1) जो सम्बन्धित इकाईयों एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी सूचनाओं पर आधारित है, इसका अन्तर समाधान की प्रक्रिया में है।

<sup>9</sup> सकल अवशेष लोक ऋण का औसत ब्याज = [ब्याज भुगतान / ((लोक ऋण का प्रारंभिक शेष + लोक ऋण का अन्तिम शेष) / 2)] \* 100

पर भुगतान की गई औसत ब्याज दर 6.50 प्रतिशत से 7.28 प्रतिशत के मध्य थी। 2018-19 से 2022-23 (विगत पाँच वर्षों) की अवधि में सरकारी उधार की लागत और एसपीएसई और अन्य संस्थाओं में निवेश पर प्रतिफल में अन्तर ₹ 47,585 करोड़ था।

**(ii) राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम**

कोआपरेटिव सोसाइटीज़, निगम तथा कम्पनियों में निवेश के साथ-साथ राज्य सरकार विभिन्न इकाईयों/संस्थाओं को ऋण तथा अग्रिम प्रदान करती है। 31 मार्च 2023 को राज्य सरकार के अवशेष ऋण तथा अग्रिम एवं 2018-19 से 2022-23 की अवधि में ब्याज भुगतान के साथ-साथ ब्याज प्राप्ति का विवरण तालिका 2.22 में प्रस्तुत है।

तालिका 2.22 : 2018-23 के दौरान वितरित और वसूले गए ऋणों की मात्रा

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
बकाया ऋणों का प्रारम्भिक अवशेष	29720.31	30709.56	27188.98	27206.86	27880.79
वर्ष के दौरान अग्रिम दी गई धनराशि	6302.64	2120.00	1152.61	1613.36	10208.63
वर्ष के दौरान वसूल की गई धनराशि	5313.39	5640.58	1134.73	939.43	1337.32
बकाया ऋणों का अन्तिम अवशेष	30709.56	27188.98	27206.86	27880.79	36752.10
शुद्ध वृद्धि	989.25	-3520.58	17.88	673.93	8871.31
प्राप्त ब्याज	27.10	112.29	89.18	66.78	42.33
सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज की दर	0.09	0.39	0.33	0.24	0.13
सरकार के बकाया ऋणों पर भुगतान किये गये ब्याज की दर	6.50	6.82	7.01	7.28	6.74
प्राप्त ब्याज दर और भुगतान किये गये ब्याज के बीच अन्तर (प्रतिशत)	6.41	6.43	6.68	7.04	6.61

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2021-22 में ₹ 1,613.36 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2022-23 में ₹ 10,208.63 करोड़ ऋण के रूप में दिए गए। चालू वर्ष के दौरान दिए गए ऋणों में सम्मिलित हैं:

- औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को ₹ 8,000.00 करोड़ का ऋण।
- चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ को ₹ 1,000.00 करोड़ का ऋण, यद्यपि वर्ष के प्रारम्भ में ₹ 1,010.00 करोड़ का ऋण बकाया था।

वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण में ₹ 8,871.31 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 2021-22 की तुलना में ऋण वसूली में ₹ 397.89 करोड़ की वृद्धि हुई तथा ब्याज प्राप्ति में ₹ 24.45 करोड़ की कमी आयी। वर्ष 2022-23 के दौरान ब्याज की प्राप्ति दिये गये बकाया ऋण का केवल 0.12 प्रतिशत थी।



**(iii) अपूर्ण परियोजनाओं पर निधियों का अवरोधन**

वित्त लेखे का परिशिष्ट-IX अपूर्ण पूँजीगत कार्यों की समग्र स्थिति को दर्शाता है। परिशिष्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण एवं सिंचाई विभाग में अपूर्ण कार्यों की सूची सम्मिलित है, यद्यपि सूची में राज्य सरकार के अन्य विभागों के सभी अपूर्ण कार्यों को सम्मिलित नहीं किया गया है। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों पर निधियों का अवरोधन व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और राज्य को लम्बे समय के लिये अभिप्रेत लाभों से वंचित रखता है। अग्रेतर, सम्बन्धित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उधार ली गई धनराशि ऋण और ब्याज देनदारियों के भुगतान के रूप में अतिरिक्त दायित्व की ओर ले जाती है।

वित्त लेखे 2022-23 के परिशिष्ट-IX के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक 575 पूँजीगत परियोजनाएं अपूर्ण थीं, जिन पर ₹ 2,013.70 करोड़ की राशि व्यय की गई थी एवं ₹ 1,028.70 करोड़ के भुगतान लम्बित थे, जैसा कि तालिका 2.23 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.23 : 31 मार्च 2023 तक विभागवार अपूर्ण परियोजनाएं

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय
लोक निर्माण	569	3257.65	1944.84
सिंचाई	06	85.58	68.86
योग	575	3343.23	2013.70

स्रोत: वित्त लेखा 2022-23

**2.4.3 व्यय प्राथमिकताएं**

मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर अपना व्यय बढ़ाने की आवश्यकता है। निम्न राजकोषीय प्राथमिकता (एक श्रेणी के अन्तर्गत व्यय का कुल व्यय से अनुपात) एक क्षेत्र विशेष से सम्बद्ध है, यदि आवंटन सम्बन्धित राष्ट्रीय औसत से कम है। इन घटकों का कुल व्यय से अनुपात जितना अधिक होता है, व्यय की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी मानी जाती है। सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र आदि पर व्यय के सम्बन्ध में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता को तालिका 2.24 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.24: स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पूँजीगत व्यय के सम्बन्ध में राज्य की व्यय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

श्रेणी	कुल व्यय/जीएसडीपी	पूँजीगत व्यय/टीई	शिक्षा/टीई	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/टीई
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (2018-19)	16.38	15.58	14.76	5.07
उत्तर प्रदेश (2018-19)	23.42	16.86	13.01	4.89
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (2022-23)	15.79	15.22	14.85	5.68
उत्तर प्रदेश (2022-23)	21.40	19.25	14.35	6.45

स्रोत: आँकड़े सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखों से आगणित किये गये हैं

टीई-कुल व्यय एवं सीई-पूँजीगत व्यय


तालिका 2.24 यह दर्शाता है कि:

- 2018-19 और 2022-23 के दौरान राज्य सरकार के कुल व्यय का जीएसडीपी से अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत की तुलना में अधिक था, यद्यपि यह 2018-19 के सापेक्ष वर्ष 2022-23 में 23.42 प्रतिशत से घटकर 21.40 प्रतिशत हो गया।
- पूँजीगत व्यय परिसम्पत्ति निर्माण की सुविधा देता है, जो उच्च विकास के अवसर पैदा करता है। कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अनुपात वर्ष 2018-19 में 16.86 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 19.25 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2018-19 और 2022-23 में राज्य के कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से अधिक था।
- उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर व्यय का कुल व्यय से अनुपात वर्ष 2018-19 में 13.01 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 14.35 प्रतिशत हो गया, यद्यपि दोनों वर्षों के दौरान यह सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम था।
- उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर व्यय का कुल व्यय से अनुपात वर्ष 2018-19 में 4.89 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 6.45 प्रतिशत हो गया। इसके अतिरिक्त, यह 2022-23 के दौरान सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से अधिक था।

#### 2.4.4 मानक मदवार व्यय

मानक मद विनियोग की प्राथमिक इकाई है, जो व्यय की आर्थिक प्रकृति जैसे वेतन, पेंशन, सहायक अनुदान, ब्याज, सब्सिडी इत्यादि को दर्शाता है। वर्ष 2022-23 के दौरान मानक मदवार व्यय को चार्ट 2.13 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.13 : वर्ष 2022-23 के दौरान मानक मदवार व्यय (प्रतिशत में)



स्रोत: वित्त लेखा 2022-23

चार्ट 2.13 से स्पष्ट है कि राज्य की संचित निधि के अन्तर्गत मानक मद वेतन, वेतन के लिये सहायता अनुदान एवं पेंशन तथा सेवानिवृत्ति परिलाभों के अन्तर्गत व्यय, कुल व्यय

(₹ 5,05,905.54 करोड़) का 32.41 प्रतिशत था। इसके अलावा, सहायता अनुदान (गैर-वेतन), ब्याज/लाभांश एवं सब्सिडी समेकित निधि व्यय के क्रमशः 10.28 प्रतिशत, 8.64 प्रतिशत और 4.20 प्रतिशत था। निवेश एवं ऋण और वृहद निर्माण कार्यों, जो कि पूँजीगत प्रकृति के थे, पर व्यय संचित निधि के व्यय के क्रमशः 8.97 प्रतिशत और 11.35 प्रतिशत था।

## 2.5 लोक लेखा

प्राप्तियों एवं संवितरणों से सम्बन्धित कुछ संव्यवहारों यथा लघु बचत, भविष्य निधियाँ, आरक्षित निधि, जमा, उचन्त, प्रेषण इत्यादि जो समेकित निधि के भाग नहीं होते हैं, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अन्तर्गत गठित लोक लेखे में रखे जाते हैं एवं यह राज्य विधायिका के मतदान के अधीन नहीं होते हैं। सरकार इनके सम्बन्ध में एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के पश्चात् अवशेष विभिन्न प्रयोजनों एवं उपयोग के लिए सरकार के पास उपलब्ध निधि है।

### 2.5.1 निवल लोक लेखा संव्यवहार

लोक लेखा के अन्तर्गत प्राप्तियों एवं संवितरण की स्थिति वित्त लेखे के विवरण-21 में दर्शायी गई है तथा 2018-23 की अवधि के दौरान लोक लेखा (निवल) के संव्यवहारों का विवरण तालिका 2.25 में दिया गया है।

तालिका 2.25 : 2018-23 के दौरान घटक-वार लोक लेखा (निवल) संव्यवहार

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप-क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
अल्प बचत, भविष्य निधियाँ आदि	लघु बचत, भविष्य निधियाँ आदि	3646	3314	1062	525	413
आरक्षित निधि	(अ) ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ	0	1757	(-)252	2693	729
	(ब) ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ *	13545	(-)70056	753	1200	2963
जमा एवं अग्रिम	(अ) ब्याज सहित जमा	184	883	607	(-) 717	-1948
	(ब) ब्याज रहित जमा	2000	(-)2990	1308	(-) 741	5547
	(स) अग्रिम	12	17	(-) 0.15	0	0
उचन्त एवं विविध	(अ) उचन्त	(-)236	(-)1743	1859	1444	(-)394
	(ब) अन्य लेखे**	459	(-)85	(-)162	17	429
	(स) बाह्य देशों की सरकारों के साथ लेखे	0	0	0	0	0
	(द) विविध	0	0	0	0	(-)0.10
प्रेषण	(अ) मनी आर्डर तथा अन्य प्रेषण	328	308	(-)323	25	1046
	(ब) अन्तर शासकीय समायोजन लेखे	(-)16	5	(-)2	(-)4	10
योग		19922	(-)68590	4850*	4442*	8795*

टिप्पणी: धनात्मक इंगित करता है कि प्राप्तियाँ संवितरण से अधिक हैं और ऋणात्मक उसका विपरीत इंगित करता है।

\* रक्षित निधि में निवेश जो कि प्रारम्भिक एवं अन्तिम रोकड़ अवशेष का भाग है, को छोड़कर।

\*\* मुख्य शीर्ष 8671-विभागीय अवशेष, 8672-स्थायी रोकड़ अग्रदाय एवं 8673-रोकड़ अवशेष निवेश लेखा और रक्षित निधि में निवेश जो आरंभिक एवं अन्तिम अवशेष का भाग है, के अन्तर्गत लेन-देन को छोड़कर।

### 2.5.2 आरक्षित निधियाँ

राज्य सरकार के लोक लेखे के अन्तर्गत विशिष्ट और परिभाषित उद्देश्यों के लिए आरक्षित निधियाँ सृजित की जाती हैं। इन निधियों को राज्य की संचित निधि के साथ-साथ भारत सरकार से अंशदान या अनुदान से पूरा किया जाता है। आरक्षित निधियों एवं निर्धारित निधियों से निवेश के बारे में विस्तार से सूचना वित्त लेखे के विवरणी 21 और 22 में उपलब्ध है, जो **परिशिष्ट 2.3** में संक्षेपित किया गया है।

31 मार्च 2023 को, आरक्षित निधियों के साथ कुल संचयी अवशेष ₹ 12,611.99 करोड़ था। इनमें से ब्याज<sup>10</sup> सहित आरक्षित निधि के अन्तर्गत ₹ 4,927.44 करोड़ था एवं ब्याज रहित आरक्षित निधि के अन्तर्गत ₹ 7,684.56 करोड़ था। अग्रेतर, राज्य सरकार ने आरक्षित निधि अवशेष से ₹ 5,545.20 करोड़ भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया था। कुछ प्रमुख आरक्षित निधियों के विवरण की चर्चा नीचे की गयी है:

#### 2.5.2.1 समेकित निक्षेप निधि

राज्य सरकार ने मार्च 2020 में 'उत्तर प्रदेश सरकार की समेकित निक्षेप निधि' का गठन किया, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 से लागू हुआ था। सरकार की लम्बित देनदारियों के विमोचन के लिये परिशोधन निधि के रूप में निधि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2020-21 से किया जाना था। राज्य सरकार की अधिसूचना (17 मार्च 2020) के अनुसार, सरकार विगत वर्ष के अन्त में लम्बित देनदारियों, अर्थात् आन्तरिक ऋण एवं लोक लेखे की देनदारियों का कम से कम 0.5 प्रतिशत योगदान करेगी। निधि के कोष में आवधिक अंशदान के साथ-साथ निधि में उपार्जित आय को सरकार के सामान्य राजस्व से बाहर रखा जायेगा। सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अधीन निधि का प्रबन्धन आरबीआई द्वारा किया जायेगा। निधि में प्राप्ति का निवेश भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, कोषागार बिल, भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों और अन्य राज्यों के ऐसे परिपक्वता राज्य विकास ऋणों में किया जायेगा, जैसा कि बैंक समय-समय पर सरकार के परामर्श से निर्धारित करें।

समेकित निक्षेप निधि में 1 अप्रैल 2022 को प्रारम्भिक अवशेष ₹ 3,000 करोड़ था, जिसे लोक लेखे के अन्तर्गत शीर्ष 8222-01-101-निक्षेप निधि में रखा गया था। वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार ने राज्य के संचित निधि के अन्तर्गत विनियोग की कमी या ऋण के परिहार के लिए शीर्ष 2048-00-101 से ₹ 2,500 करोड़ निधि में स्थानान्तरित किया। अग्रेतर, वर्ष 2022-23 के दौरान निधि से कोई संवितरण नहीं किया गया था। इस प्रकार 31 मार्च 2023 को, समेकित निक्षेप निधि में (उपार्जित ब्याज को छोड़कर) शेष राशि ₹ 5,500.00 करोड़ थी।

समेकित निक्षेप निधि के दिशा-निर्देशों के दृष्टिगत, सरकार द्वारा समेकित निक्षेप निधि में कम से कम ₹ 2,928.48 करोड़ (वर्ष 2021-22 के अन्त में ₹ 5,85,695.00 करोड़ की आन्तरिक ऋण और लोक लेखे की देनदारियों का 0.50 प्रतिशत) का अंशदान करना अपेक्षित था। इस प्रकार, ₹ 428.48 करोड़ (₹ 2,928.48 करोड़-₹ 2,500.00 करोड़) का कम अंशदान किया गया था, जो वर्ष 2022-23 के दौरान निक्षेप निधि निवेश का भाग

<sup>10</sup> एक निधि जहाँ राज्य सरकार को निधि में जमा धनराशि पर सरकार द्वारा तय की गयी दर से ब्याज का भुगतान करना अपेक्षित है।

नहीं बन सका। वर्ष 2022–23 के दौरान समेकित निक्षेप निधि में कम अन्तरण के कारण ₹ 428.48 करोड़ राज्य के राजस्व अधिशेष को अधिक एवं राजकोषीय घाटे को कम करके दर्शाया गया।

### 2.5.2.2 मूल्यह्रास आरक्षित निधि

राज्य सरकार ने अनुपयोगी संयन्त्र एवं मशीनरी के नवीनीकरण तथा प्रतिस्थापन हेतु संयन्त्र एवं मशीनरी के क्रय, संयन्त्र एवं मशीनरी की विशेष मरम्मत तथा नवीनतम तकनीक से युक्त संयन्त्र एवं मशीनरी क्रय हेतु उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मूल्यह्रास आरक्षित निधि (डीआरएफ) का सृजन किया (मार्च 2005)। डीआरएफ का रख-रखाव लोक लेखे में लेखा शीर्ष 8226–102 के अन्तर्गत किया जाता है।

वर्ष 2022–23 के दौरान, निधि में (–)₹ 6.11 करोड़ का प्रारम्भिक अवशेष था और शीर्ष 3054–80–797 से ₹ 30.00 करोड़ की राशि स्थानांतरित की गई थी और इसमें से ₹ 9.70 करोड़ का संवितरण किया गया, जिसे शीर्ष 5054–80–800 में स्थानांतरित कर दिया गया था। परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2023 को डीआरएफ का अन्तिम अवशेष ₹ 14.19 करोड़ था।

सरकार ने निर्धारित किया कि डीआरएफ के लिये 1.5 प्रतिशत धनराशि कार्य के सापेक्ष डेबिट की जायेगी और प्राप्ति शीर्ष 1054–800–04 में जमा की जायेगी। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग डीआरएफ नियमावली, 2005 के अन्तर्गत, यह धनराशि अभीष्ट उद्देश्यों के लिये लोक लेखे के अन्तर्गत डीआरएफ में अन्तरित की जायेगी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2022–23 की अवधि के दौरान, राज्य सरकार ने डीआरएफ के सम्बन्ध में लेखाशीर्ष 1054–800–04 के अन्तर्गत ₹ 98.45 करोड़ प्राप्त किया, जिसके सापेक्ष डीआरएफ के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 8226–102 में ₹ 30.00 करोड़ हस्तांतरित किया गया था। इस प्रकार, सरकार ने कार्य की लागत में वृद्धि करके अपनी राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि की थी।

31 मार्च 2021 तथा 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिये राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर 2.8.2.2 में इस प्रकरण को प्रकाश में लाया गया था।

### 2.5.2.3 राज्य आपदा अनुक्रिया निधि

राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (एसडीआरएफ), आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) (ए) के अन्तर्गत गठित एक कोष है। अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों (जनवरी 2022) के अनुसार, एसडीआरएफ का उपयोग केवल अधिसूचित आपदाओं यथा चक्रवात, सूखा, भूकंप, अग्नि, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटने, कीटों के हमले एवं शीत लहर/ठंड के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु किया जायेगा। एसडीआरएफ के दिशानिर्देश आगे निम्नलिखित को निर्धारित करते हैं:

- सम्बन्धित राज्य सरकारों के लेखे में मुख्य शीर्ष-8121–सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि के नीचे 'ब्याज सहित आरक्षित निधि' के अन्तर्गत लोक लेखे में निधि का गठन किया जायेगा।
- अवधि 2021–22 से 2025–26 के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये एसडीआरएफ में वार्षिक योगदान की धनराशि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार निर्धारित होगी।

एसडीआरएफ के निर्धारित कुल आकार में से, भारत सरकार सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिये कुल वार्षिक आवंटन का 75 प्रतिशत का योगदान करेगी और शेष 25 प्रतिशत का योगदान सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

- राज्य सरकार एसडीआरएफ के अन्तर्गत अवशेष धनराशि पर आरबीआई के ओवरड्राफ्ट विनियमन दिशानिर्देशों के अन्तर्गत ओवरड्राफ्ट पर लागू ब्याज का भुगतान करेगी। ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर जमा किया जाना है। एसडीआरएफ के निवेश पर अर्जित आय के साथ एसडीआरएफ में प्राप्ति को केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, नीलाम किये गये कोषागार बिलों और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ अन्य ब्याज अर्जित जमा में निवेश किया जाना है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार ने लेखाशीर्ष 8121-122-एसडीआरएफ के अन्तर्गत एसडीआरएफ का रख-रखाव किया था। उत्तर प्रदेश में आपदा प्रबन्धन के लिये 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2022-23 के लिये ₹ 2,165.60 करोड़ आवंटित किया था, जिसमें भारत सरकार (₹ 1,624 करोड़) और राज्य सरकार (₹ 541.60 करोड़) का अंशदान सम्मिलित था। इसके सापेक्ष राज्य सरकार को भारत सरकार से ₹ 812.00 करोड़ प्राप्त हुए तथा राज्य सरकार ने एसडीआरएफ में ₹ 1,082.80 (₹ 270.80 करोड़ राज्य के अंश को सम्मिलित करते हुए) हस्तांतरित किये। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से एनडीआरएफ के लिये ₹ 0.18 करोड़ प्राप्त हुए, जिसे राज्य सरकार ने एसडीआरएफ को हस्तांतरित कर दिया।

2022-23 के दौरान, लेखाशीर्ष 8121-122-एसडीआरएफ के अन्तर्गत ₹ 3,015.59 करोड़<sup>11</sup> का प्रारम्भिक अवशेष था एवं वर्ष के दौरान इसे ₹ 1,091.97 करोड़ प्राप्त हुए। अग्रेतर, प्राकृतिक आपदाओं पर किये गये ₹ 949.20 करोड़ के व्यय को निधि के अवशेष के सापेक्ष समायोजित (मुख्य शीर्ष 2245-05-901) किया गया। इस प्रकार, 31 मार्च 2023 के अन्त में शीर्ष 8121-122-एसडीआरएफ में अवशेष धनराशि ₹ 3,158.36 करोड़ थी, जो कि ब्याज सहित एक आरक्षित निधि है। तथापि, राज्य सरकार ने एसडीआरएफ के अन्तर्गत उपलब्ध शेष धनराशि पर ₹ 266.56 करोड़ (वर्ष 2022-23 में लागू ओवरड्राफ्ट पर ब्याज की दर को छमाही आधार पर औसत दर की गणना की गयी) का ब्याज जमा नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, एसडीआरएफ को 2022-23 के दौरान शीर्ष 8235-111-एसडीआरएफ के अन्तर्गत ₹ 6.73 करोड़ की विविध प्राप्तियां भी जमा हुईं। अग्रेतर, राज्य सरकार ने एसडीआरएफ की अभिवृद्धि का निवेश दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं किया था।

वर्ष 2022-23 के दौरान एसडीआरएफ में ब्याज (₹ 266.56 करोड़) जमा नहीं करने के कारण राज्य के राजस्व अधिशेष को ₹ 266.56 करोड़ से अधिक तथा राजकोषीय घाटा को कम दर्शाया गया।

<sup>11</sup> इसमें राज्य आपदा अनुक्रिया निधि के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 8235-111-एसडीआरएफ से शीर्ष 8121-122-एसडीआरएफ में हस्तांतरित ₹ 10 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

#### 2.5.2.4 राज्य आपदा शमन निधि

राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) का गठन आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) (सी) के अन्तर्गत किया जाना है। यह निधि विशेष रूप से राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अन्तर्गत आने वाली आपदाओं के सम्बन्ध में शमन परियोजनाओं के सम्बन्ध में एसडीआरएफ/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ) दिशानिर्देश और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य विशिष्ट स्थानीय आपदाओं के उद्देश्य से गठित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121-130- राज्य आपदा शमन निधि के अन्तर्गत एसडीएमएफ के संचालन को अधिसूचित किया था (जून 2022), जो ब्याज सहित आरक्षित निधि है।

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से ₹ 589.60 करोड़ प्राप्त हुए। निधि का प्रारंभिक शेष शून्य था, राज्य सरकार ने केन्द्रांश (₹ 589.60 करोड़) और राज्यांश (₹ 196.70 करोड़) सहित निधि में ₹ 786.30 करोड़ हस्तांतरित किए। वर्ष के दौरान निधि से कोई व्यय नहीं किया गया।

#### 2.5.2.5 प्रत्याभूति विमोचन निधि

राज्य सरकार ने राज्य स्तर पर निर्गत बांडों और राज्य स्तरीय उद्यमों या अन्य निकायों द्वारा लिये गये ऋण के सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्गत की गई प्रत्याभूति से उत्पन्न होने वाले भुगतान दायित्वों की प्रतिपूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की प्रत्याभूति विमोचन निधि के गठन और प्रशासन की योजना को अधिसूचित (जनवरी 2021) किया। यह फंड वित्तीय वर्ष 2021-22 से लागू होना था और इसे आरबीआई द्वारा प्रशासित किया जाना था। दिशानिर्देशों<sup>12</sup> के अनुसार, राज्य सरकार प्रारम्भ में न्यूनतम एक प्रतिशत का योगदान देगी एवं तदोपरान्त अगले पाँच वर्षों में न्यूनतम तीन प्रतिशत के स्तर को प्राप्त करने के लिए विगत वर्ष के अन्त में बकाया गारंटी का न्यूनतम 0.5 प्रतिशत की दर से योगदान देगी।

विभिन्न संस्थाओं द्वारा लिये गये ऋणों पर राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूति की स्थिति वित्त लेखे के विवरण 9 एवं 20 में दी गई है, जो राज्य सरकार से प्राप्त सूचना पर आधारित है। वित्त लेखे 2021-22 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के अन्त में अवशेष क्रियान्वित प्रत्याभूति ₹ 1,74,218.42 करोड़ थी। तथापि वित्त लेखे 2022-23 के अनुसार, वर्ष 2022-23 के प्रारम्भ में 20 संस्थाओं, यथा सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों और अन्य संस्थानों के लिये राज्य सरकार द्वारा निष्पादित बकाया प्रत्याभूति ₹ 1,71,705.13 करोड़ थी। इस प्रकार वर्ष 2021-22 के अन्त में अवशेष प्रत्याभूति तथा वर्ष 2022-23 के प्रारम्भ में शेष प्रत्याभूति में ₹ 2,513.30 करोड़ का अन्तर था। अन्तर का समाधान उत्तर प्रदेश सरकार तथा कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश के मध्य होना शेष था।

2022-23 के दौरान, प्रत्याभूति में ₹ 21,539.69 करोड़ की वृद्धि हुई और ₹ 22,464.30 करोड़ की प्रत्याभूति समाप्त हो गई। इस प्रकार, वर्ष 2022-23 के अन्त में कुल बकाया प्रत्याभूति ₹ 1,70,780.52 करोड़ थी। वर्ष 2022-23 के अन्त में बकाया प्रत्याभूति जीएसडीपी का 7.56 प्रतिशत थी। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार को

<sup>12</sup> जैसा दिसम्बर 2022 में संशोधित किया गया

उत्तर प्रदेश भण्डारण निगम से प्राप्य प्रत्याभूति कमीशन ₹ 4.41 करोड़ में से कोई प्रत्याभूति कमीशन प्राप्त नहीं हुआ।

अग्रेतर, राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 में निधि में आवश्यक योगदान ₹ 1,742.18 करोड़ के सापेक्ष कोई योगदान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप राजस्व व्यय ₹ 1,742.18 करोड़ से कम दर्शाया गया।

#### 2.5.2.6 राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि

राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि (एससीएएफ) की स्थापना प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत की गई थी। प्रतिपूरक वनीकरण निधि (लेखांकन प्रक्रिया) नियम, 2018 प्रावधानित करता है कि राज्य सरकारों द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसियों<sup>13</sup> से प्राप्त धनराशि को राज्य के लोक लेखे में मुख्य शीर्ष 8336-सिविल जमा के नीचे लघु शीर्ष-103 के अन्तर्गत ब्याज सहित खण्ड के अधीन 'राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निक्षेप' में जमा किया जाना है। इसमें से 90 प्रतिशत को राज्य के लोक लेखा में मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य और अन्य आरक्षित निधि के नीचे लघु शीर्ष 129-एससीएएफ में अन्तरित किया जायेगा और शेष 10 प्रतिशत प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 की धारा 3 (4) के अनुसार राष्ट्रीय निधि में जमा किया जायेगा।

01 अप्रैल 2022 को, एससीएएफ में ₹ 1,182.76 करोड़ का प्रारम्भिक अवशेष था। 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार को राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण जमा से एससीएएफ के लिये कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई। प्रयोक्ता एजेंसियों से कोई प्राप्ति नहीं हुई थी। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 से सम्बन्धित बकाया ब्याज ₹ 31.66 करोड़ का भुगतान किया। वर्ष 2022-23 के दौरान निधि से किया गया व्यय ₹ 231.74 करोड़ था और एससीएएफ में ₹ 982.68 करोड़ शेष था।

शीर्ष 8336-सिविल जमा के अन्तर्गत राज्य प्रतिकरात्मक वनीकरण जमा और शीर्ष 8121- सामान्य और अन्य आरक्षित निधि के अन्तर्गत एससीएएफ में उपलब्ध शेष राशि पर ब्याज का भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा वार्षिक आधार पर घोषित लागू दर के अनुसार किया जाना है।

तथापि, राज्य सरकार ने 2022-23 के दौरान शेष राशि पर 3.35 प्रतिशत<sup>14</sup> की दर से देय ₹ 37.02 करोड़ का ब्याज हस्तांतरित नहीं किया। इस प्रकार, वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य का राजस्व अधिशेष अधिक और राजकोषीय घाटा ₹ 37.02 करोड़ से कम बताया गया।

<sup>13</sup> 'उपयोगकर्ता एजेंसी' से तात्पर्य किसी व्यक्ति, संस्थान या कम्पनी या भारत सरकार या राज्य सरकार के विभाग से है जो गैर-वन उद्देश्य हेतु विपथन करने या वनभूमि की अधिसूचना रद्द करने का अनुरोध करता है अथवा वनभूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में निहित प्रावधानों तथा उसके बाद बने नियमों तथा निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-वन उद्देश्यों हेतु उपयोग करने का अनुरोध करता है।

<sup>14</sup> जैसा कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित (अक्टूबर 2022) किया गया।



### 2.5.2.7 केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि

केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे परियोजनाओं, रेलवे, राज्य और ग्रामीण सड़कों और अन्य अवसंरचना के सुरक्षा में सुधार आदि के विकास और रखरखाव के लिये किया जाता है। वर्तमान लेखांकन प्रक्रिया के सन्दर्भ में सीआरआईएफ के सम्बन्ध में भारत सरकार से राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान को प्रारम्भ में मुख्य शीर्ष 1601 के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों के रूप में पुस्तांकित किया जाता है और उसके बाद प्राप्त धनराशि को मुख्य शीर्ष 8449-103-केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से अनुदान के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया जाना है।

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार को सीआरआईएफ के अन्तर्गत ₹ 658.75 करोड़ की सहायता अनुदान की राशि प्राप्त हुई थी। तथापि राज्य सरकार ने 31 मार्च 2023 तक लोक लेखे के अन्तर्गत निधि में कोई धनराशि हस्तांतरित नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप राजस्व व्यय ₹ 658.75 करोड़ कम बताया गया।

### 2.5.3 राज्य की संचित निधि या लोक लेखे से बाहर रखी गयी निधियाँ

अनुच्छेद 267 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(1) प्रावधान करता है कि राज्य की सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, सरकार द्वारा राज हुंडियों को निर्गमित करके, उधार द्वारा या अर्थोपाय अग्रिमों द्वारा लिए गए सभी उधार एवं उधारों के प्रति संदाय में सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों से एक संचित निधि बनेगी जो "राज्य की संचित निधि" के नाम से ज्ञात होगी। अनुच्छेद 266(2) प्रावधान करता है कि राज्य की सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य लोक धनराशियाँ राज्य के लोक लेखे में जमा की जायेंगी। तथापि, निम्नलिखित प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त धन संचित निधि/लोक लेखे का भाग नहीं बना जैसा कि नीचे चर्चा की गयी है :

#### 2.5.3.1 भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर

भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक (बीओसीडब्ल्यू) कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 एवं बीओसीडब्ल्यू (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 ऐसे प्रतिष्ठान, जिसने किसी भवन या अन्य निर्माण कार्य में विगत बारह महीने के किसी भी दिन दस या अधिक निर्माण श्रमिकों को नियोजित किया हो, को समाविष्ट करता है। अधिनियम में अन्य बातों के साथ, श्रमिकों के कार्य की दशाओं में सुधार एवं उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से कल्याण बोर्ड के गठन किये जाने तथा निर्माण की लागत पर उपकर के आरोपण एवं संग्रहण के माध्यम से कल्याण बोर्ड के संसाधनों में वृद्धि किये जाने का प्रावधान है। तदनुसार, राज्य सरकार ने उ०प्र० बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड का गठन (नवम्बर 2009) किया तथा उपकर अधिनियम के अनुसार एक प्रतिशत की दर से उपकर का आरोपण किया। समय-समय पर यथा संशोधित, उ०प्र० बीओसीडब्ल्यू नियम, 2009 में पंजीकरण शुल्क ₹ 20 एवं पंजीकृत श्रमिकों से वार्षिक सदस्यता शुल्क ₹ 20 का संग्रहण करने का प्रावधान है।

इस सम्बन्ध में, लेखापरीक्षा के निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

#### शासकीय लेखे से बाहर रखी गयी निधियाँ

वर्ष 2018-23 की अवधि में उपकर की प्राप्तियों एवं उपयोग का विवरण, जैसा कि बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराया गया, तालिका 2.26 में दिया गया है।

तालिका 2.26: 2018-23 की अवधि के दौरान पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति, उद्ग्रहीत उपकर एवं उपभोग की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्तियां				कुल उपलब्ध निधियाँ	व्यय	अटल आवासीय विद्यालय के लिये कॉर्पस फंड	अन्तिम अवशेष
		पंजीकरण शुल्क एवं वार्षिक सदस्यता शुल्क	श्रम उपकर		जमा धनराशि पर ब्याज				
			बोर्ड के खाते में प्राप्त	कोषागार (राज्य सरकार से प्राप्त)					
1	2	3	4	5	6	7 (स्तम्भ 2 से 6)	8	9	10 [स्तम्भ 7- (8+9)]
2018-19	3922.47	7.42	891.31	9.99	247.86	5079.05	193.85	0.00	4885.20
2019-20	4885.20	13.15	916.45	8.73	323.18	6146.71	362.67	0.00	5784.04
2020-21	5784.04	9.31	878.81	10.00	360.00	7042.16	882.54	0.00	6159.62
2021-22	6159.62	3.71	1007.55	9.78	310.80	7491.46	1697.50	1890.00	3903.96
2022-23	3903.96	9.63	1297.46	40.10	305.05	5556.20	626.61	450.00	4479.59

स्रोत: उ0प्र0 बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड (वर्ष 2022-23 के अनन्तिम आँकड़े)

राज्य सरकार ने उ0प्र0 बीओसीडब्ल्यू नियम, 2009 के अन्तर्गत सभी जिलाधिकारियों एवं अन्य विभागों/स्थानीय निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अधिकारियों को बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड अधिनियम, 1996 तथा बीओसीडब्ल्यू सेस नियमावली 1998<sup>15</sup> के अन्तर्गत उपकर निर्धारक अधिकारी एवं उपकर संग्राहक अधिकारी नियुक्त (नवम्बर 2009 एवं सितम्बर 2010) किया। आगे राज्य सरकार ने संग्रहीत उपकर को बोर्ड के राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाते में जमा करने का आदेश (अगस्त 2013 एवं सितम्बर 2016) निर्गत किया। उपर्युक्त तालिका 2.26 से स्पष्ट है कि 31 मार्च 2023 को बोर्ड के पास ₹ 4,479.59 करोड़ उपलब्ध थे।

बीओसीडब्ल्यू उपकर नियम, 1998 प्रावधानित करता है कि संग्रहीत उपकर राज्य के लेखाकनन प्रक्रिया के अन्तर्गत बोर्ड के लेखाशीर्ष में बोर्ड को अन्तरित किया जायेगा। उपकर को शासकीय लेखे में लिये बिना बोर्ड के बैंक खाते में सीधे हस्तान्तरित करने का आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(2) का उल्लंघन करता है। सरकार के लेखे के माध्यम से उपकर का लेखाकरण नहीं किये जाने के कारण राज्य सरकार के लेखे से यह भी निश्चित नहीं किया जा सकता है कि विभिन्न संग्राहक अधिकारियों द्वारा उपकर, फीस आदि के मद में कितनी धनराशि संग्रहीत की गयी और कितनी धनराशि बोर्ड को अन्तरित की गयी।

अग्रेतर देखा गया कि वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार के लेखे में ₹ 47.33 करोड़ लेबर सेस के मुख्य शीर्ष 0230 में जमा हुए थे जिसमें से ₹ 40.10 करोड़ बोर्ड को हस्तांतरित किये गये थे। इस प्रकार, 31 मार्च 2023 को लेबर सेस के ₹ 7.23 करोड़ मुख्य शीर्ष 0230 से हस्तांतरित होने शेष थे, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष ₹ 7.23 करोड़ से अधिक दर्शाया गया था।

<sup>15</sup> बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड अधिनियम, 1996 की धारा 14 की उपधारा (1) में दिये गये अधिकार का उपयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने बीओसीडब्ल्यू उपकर नियम, 1998 बनाया जिसे भारत के राजपत्र में दिनांक 26 मार्च 1998 को अधिसूचित किया गया।

### श्रमिक उपकर का उपभोग

राज्य सरकार ने बीओसीडब्ल्यू कल्याण निधि से निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं/गतिविधियों यथा पेंशन, आवासीय, विद्यालय, आवास के क्रय/निर्माण हेतु अग्रिम, अन्त्येष्टि सहायता, चिकित्सकीय सहायता, मेधावी छात्रों को नकद पुरस्कार, लाभार्थियों के बच्चों की शिक्षा/विवाह हेतु वित्तीय सहायता, गम्भीर बीमारी इत्यादि योजनाओं को अधिसूचित किया। इन योजनाओं पर वर्ष 2022-23 में किये गये व्यय का विवरण तालिका 2.27 में दिया गया है:

तालिका 2.27: 2018-23 की अवधि के दौरान श्रमिकों का बीओसीडब्ल्यू में पंजीकरण एवं आच्छादन तथा उ0प्र0 बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड द्वारा योजनाओं पर व्यय

वर्ष	उपलब्ध निधि (₹ करोड़ में)	संचालित योजनायें		योजनाओं पर वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में)	वर्ष में पंजीकृत श्रमिक	वर्ष के अन्त में पंजीकृत श्रमिक	आच्छादित श्रमिक	प्रतिशतता		
		संख्या	बीओसीडब्ल्यू द्वारा आवंटन (₹ करोड़ में)					आच्छादित श्रमिक	आवंटन के सापेक्ष निधि का उपभोग	उपलब्धता के सापेक्ष निधि का उपभोग
2018-19	3922.47	16	361.75	174.47	647579	4856323	269424	5.55	48.23	4.45
2019-20	4885.20	17	696.94	347.04	514406	5370729	1164381	21.68	49.79	7.10
2020-21	5784.04	16	1203.15	868.88	4374964*	9745693	3046569*	31.26	72.22	15.02
2021-22	6159.62	16	2461.03	1681.22	4822173*	14567866	4470669*	30.69	68.31	27.29
2022-23	3903.96	15	1506.31	604.61	1185758	15753624	149518	0.95	40.14	15.49

स्रोत: उ0प्र0 बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड

\*नोट: उ0प्र0 बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड ने सूचित किया (अक्टूबर 2023) वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में पंजीकृत श्रमिकों तथा आच्छादित श्रमिकों की संख्या ज्यादा थी क्योंकि पंजीकृत श्रमिकों को वर्ष 2020-21 में सहायता दो किशतों में तथा वर्ष 2021-22 में सहायता चार किशतों में आपदा राहत सहायता योजना के अन्तर्गत प्रदान की गयी थी।

तालिका 2.27 से स्पष्ट है कि बोर्ड द्वारा श्रमिकों के कल्याण पर उपलब्ध निधियों के सापेक्ष 4.45 प्रतिशत से 27.29 प्रतिशत व्यय किया गया और 0.95 प्रतिशत से 31.26 प्रतिशत पंजीकृत श्रमिकों को आच्छादित किया गया।

#### 2.5.3.2 राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि

विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 82 (1) में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य सरकार राज्य के लिए राज्य विद्युत विनियामक आयोग के नाम से एक आयोग का गठन करेगी। अधिनियम की धारा 103 में आगे प्रावधान है कि राज्य सरकार एक निधि का गठन करेगी जिसे राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि के रूप में जाना जायेगा एवं जिसमें राज्य सरकार द्वारा राज्य आयोग को दिये गये कोई भी अनुदान एवं ऋण, अधिनियम के अन्तर्गत राज्य आयोग को प्राप्त सभी फीस एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य स्रोतों से आयोग को प्राप्त अन्य सभी निधियाँ जमा होंगी।

उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग का गठन 10 सितम्बर 1998 को हुआ। लेखापरीक्षा ने पाया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि का गठन नहीं किया। परिणामस्वरूप, उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (यूपीईआरसी) द्वारा प्राप्त फीस आयोग द्वारा संचालित बैंक खाते में जमा की गयी। इस प्रकार, संविधान के

अनुच्छेद 266 (2) के विपरीत 31 मार्च 2023 तक ₹ 111.14 करोड़<sup>16</sup> की धनराशि राज्य के लोक लेखे से बाहर रखी गयी। यहाँ यह प्रासंगिक है कि समान मामले में, केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 99 के अन्तर्गत गठित (अक्टूबर 2007) केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग निधि को भारत के लोक लेखे के अन्तर्गत संचालित किया जा रहा था।

प्रकरण को 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के आर्थिक क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर 6.1 में भी प्रकाश में लाया गया था। प्रकरण को 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021 एवं 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर 4.1.2 में दोहराया गया था।

यूपीईआरसी ने अवगत कराया (सितम्बर 2023) कि उसने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक निधि के गठन के लिए सरकार को अनुस्मारक (अक्टूबर 2022) जारी किया था। अग्रेतर वित्त विभाग ने वर्तमान प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में यूपीईआरसी को नियम बनाने के लिये अनुरोध किया (अगस्त 2023)।

## 2.6 लोक देयता प्रबन्धन

लोक देयता प्रबन्धन सरकार की देयता के प्रबन्धन के लिए एक रणनीति स्थापित करने और क्रियान्वित करने की प्रक्रिया है, जिससे आवश्यक मात्रा में निधियों की उगाही, इसके जोखिम और लागत उद्देश्यों की प्राप्ति और कोई अन्य संप्रभु ऋण प्रबन्धन लक्ष्य जिसे अधिनियम या किसी वार्षिक बजट घोषणाओं के माध्यम से सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो, को पूर्ण किया जा सके।

### 2.6.1 देयता रूपरेखा : घटक

राज्य सरकार की कुल देयता का गठन आमतौर पर राज्य के आन्तरिक ऋण (बाजार ऋण, आरबीआई से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ और वित्तीय संस्थानों से ऋण आदि), केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम तथा लोक लेखा देयताओं से होता है।

वित्त लेखे का विवरण 6, राज्य सरकार की बकाया देयता की स्थिति को प्रदर्शित करता है। राज्य सरकार ने बजट अभिलेखों में अतिरिक्त बजट देनदारियों को प्रकट नहीं किया था। तालिका 2.28 में 2018-19 से 2022-23 के दौरान घटकवार ऋण प्रवृत्तियों को प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.28 : अवधि 2018-23 में घटक वार देयताओं की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
बकाया कुल दायित्व	518096	502412	564972	612956	662316
लोक					
आन्तरिक ऋण	353190	405049	458552	496423	533477
ऋण					
भारत सरकार से ऋण	11980	11529	18107	27261	34364
लोक लेखा दायित्व	152926	85834	88313	89272	94475
अवशेष कुल दायित्व की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.74	(-3.03)	12.45	8.49	8.05

<sup>16</sup> वर्ष 2022-23 के लिये यूपीईआरसी से प्राप्त सूचना के अनुसार।

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)	1582180	1700062	1645317	1974532	2257575
दायित्व/जीएसडीपी (प्रतिशत)	32.75	29.55	34.34	31.04	29.34
लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के अन्तर्गत प्राप्तियां	113504	112696	123555	121852	116747
लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के अन्तर्गत पुनर्भुगतान (मूलधन तथा ब्याज)	95293	163192	98424	116743	110395
उपलब्ध निवल निधियाँ	18211	(-)50496	25131	5109	6352
उपलब्ध निवल निधियों की लोक ऋणों एवं अन्य दायित्व के अन्तर्गत प्राप्तियों से प्रतिशतता	16.04	(-)44.81	20.34	4.19	5.44

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे


जैसा कि तालिका 2.28 में दर्शाया गया है, अवधि 2018–23 के दौरान राज्य सरकार के समग्र देयता के अन्तर्गत आन्तरिक ऋण वर्ष 2018–19 में ₹ 3,53,190 करोड़ से 51.05 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2022–23 में ₹ 5,33,477 करोड़ हो गया। वर्ष 2022–23 के दौरान इसमें विगत वर्ष की तुलना में 7.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो कि ₹ 64,636.26 करोड़ के राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण हेतु आवश्यक थी। 31 मार्च 2023 को, आन्तरिक ऋण (₹ 5,33,477 करोड़) में बाजार ऋण (₹ 4,47,467.50 करोड़), वित्तीय संस्थानों से ऋण (₹ 50,638.47 करोड़), राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां (₹ 35,248.39 करोड़) और अन्य ऋण (₹ 122.18 करोड़) सम्मिलित है। इस प्रकार बाजार ऋण राज्य सरकार की कुल वित्तीय देनदारियों (₹ 6,62,316 करोड़) का 67.56 प्रतिशत था।

विगत वर्ष 2021–22 की तुलना में 2022–23 के दौरान राज्य के सकल दायित्व में 8.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों के अन्तर्गत उपलब्ध निवल निधि का उनकी प्राप्तियों से प्रतिशत में, वर्ष 2018–19 (16.04 प्रतिशत) से वर्ष 2022–23 (5.44 प्रतिशत) की अवधि में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति थी।

कुल बकाया लोक देयता की व्यापक परिभाषा में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्य निकायों द्वारा गैर-बजट ऋण भी सम्मिलित है, जहाँ मूलधन और/या ब्याज को राज्य के बजट से पूरित किया जाना है। जैसा कि प्रस्तर 4.1 में चर्चा की गयी है, राज्य सरकार ने भी गैर बजट ऋण का सहारा लिया था और इस लेखे में 31 मार्च 2023 को अवशेष देयता ₹ 24,314.36 करोड़ थी।

चार्ट 2.14 वर्ष 2022–23 के अन्त में वित्त लेखे के अनुसार राज्य सरकार के बकाया सकल दायित्व की स्थिति को दर्शाता है।


चार्ट 2.14 : वर्ष 2022-23 के अन्त में बकाया सकल दायित्व का ब्यौरा



स्रोत: वित्त लेखे 2022-23

2018-23 की अवधि के दौरान लिये गये लोक ऋण एवं उसके पुनर्भुगतान की प्रवृत्ति को चार्ट 2.15 में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 2.15: 2018-23 की अवधि के दौरान लिये गये लोक ऋण के सापेक्ष पुनर्भुगतान



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.15 से स्पष्ट है कि अवधि 2018-19 से 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार ने अपनी लोक ऋण प्राप्त धनराशि का 69 प्रतिशत से 95 प्रतिशत का उपयोग पिछले लोक ऋणों और ब्याज की देनदारियों के पुनर्भुगतान में किया, परिणामस्वरूप, लोक ऋण का मात्र 5 प्रतिशत से 31 प्रतिशत ही पूँजीगत व्यय के लिए उपलब्ध था। यह उपलब्धता वर्ष 2018-19 में न्यूनतम और वर्ष 2020-21 में अधिकतम थी। वर्ष 2022-23 में राज्य

सरकार ने अपनी ऋण प्राप्त धनराशि का 92 प्रतिशत पिछले ऋणों के पुनर्भुगतान और ब्याज भुगतान में उपयोग किया, परिणामस्वरूप मात्र 8 प्रतिशत धनराशि ही पूँजीगत व्यय के लिए उपलब्ध थी।

### राजकोषीय घाटे के घटक और इसका वित्तपोषण

तीन प्रमुख राजकोषीय मापदण्ड—राजस्व घाटा/अधिशेष, राजकोषीय घाटा/अधिशेष और प्राथमिक घाटा/अधिशेष—एक निर्दिष्ट अवधि में राज्य सरकार के वित्त में समग्र राजकोषीय असंतुलन की सीमा को दर्शाते हैं। सरकारी लेखे में घाटा प्राप्तियों और व्यय के बीच के अन्तर को दर्शाता है।

राजस्व अधिशेष राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय के अन्तर को दर्शाता है। राजस्व अधिशेष ऋणों को कम करने में सहायक है। राजकोषीय घाटा राजस्व तथा गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों पर राजस्व और ऋण तथा अग्रिमों सहित पूँजीगत व्यय का आधिक्य है। राजकोषीय घाटा सरकार के निवल वृद्धिमान दायित्वों अथवा इसके अतिरिक्त उधार को दर्शाता है। राजकोषीय घाटे का ब्योरा सरकार द्वारा अपनी निधियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राजस्व तथा गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों से इतर विभिन्न उधारों के वित्तपोषण की सीमा को उद्घाटित करता है। अग्रेतर, जिस तरह से घाटे को वित्तपोषित किया गया और संसाधनों को लागू किया गया, राजकोषीय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण संकेतक हैं। यह खण्ड इन घाटों के वित्तपोषण की प्रवृत्तियों, प्रकृति, परिमाण और तरीके को प्रस्तुत करता है। प्रमुख राजकोषीय मापदण्डों की समग्र स्थिति तालिका 2.29 में दी गई है।

तालिका 2.29: राजकोषीय घाटे के घटक एवं इनके वित्तपोषण का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजकोषीय घाटे (-)/ अधिशेष (+) का संघटन—(अ)	(-)35203	(+)11083	(-)54622	(-)39286	(-)64636
1 राजस्व घाटा (-) / अधिशेष (+)	(+)28250	(+)67560	(-)2367	(+)33430	(+)37263
2 निवल पूँजीगत व्यय <sup>17</sup>	(-)62463	(-)59998	(-)52237	(-)71443	(-)93028
3 निवल ऋण एवं अग्रिम <sup>18</sup>	(-)990	(+)3521	(-)18	(-)1273	(-)8871
राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का स्वरूप (निवल)					
1 बाजार ऋण	33306.67	55825.80	63499.68	46670.00	46111.96
2 भारत सरकार से ऋण	(-) 832.22	(-) 450.84	6577.99	9154.59	7102.82
3 एनएसएसएफ को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	(-) 4871.64	(-) 5122.07	(-) 5122.07	(-)5122.07	-5122.07

<sup>17</sup> निवल पूँजीगत व्यय = विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ (-) पूँजीगत व्यय; ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय पूँजीगत प्राप्तियों से अधिक है।

<sup>18</sup> निवल ऋण और अग्रिम = ऋण और अग्रिम माइनस ऋण और अग्रिम का संवितरण; माइनस आँकड़ा यह दर्शाता है कि ऋणों और अग्रिमों का संवितरण वर्ष के दौरान वसूली से अधिक था। वर्ष 2021-22 में, इसमें संचित निधि से आकस्मिकता निधि में ₹ 600 करोड़ का हस्तांतरण भी सम्मिलित है, जिसे राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत बजटित किया गया था।

विवरण		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	3275.84	1155.20	(-) 4874.22	(-)3677.27	-3936.23
5	लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	3645.59	3313.67	1062.40	525.12	412.91
6	जमा एवं अग्रिम	2196.34	(-) 2089.80	1914.78	(-)1458.73	3598.74
7	उचन्त एव विविध	222.67	(-) 1828.11	1697.48	1461.10	34.82
8	प्रेषण	312.67	313.50	(-)325.46	21.06	1056.61
9	आरक्षित निधि	13544.71	(-) 68298.52	500.94	3893.01	3691.79
10	आकस्मिकता निधि	(-) 166.65	629.73	(-) 100.00	700.00	(-)0.06
11	<b>सकल घाटा (ब)</b>	<b>50633.98</b>	<b>(-) 16551.44</b>	<b>64831.52</b>	<b>52166.81</b>	<b>52951.29</b>
12	नगद अवषेष में वृद्धि (-)/कमी (+)(अ-ब)	(-) 15431.00	5468.75	(-) 10209.41	(-) 12880.39	11684.97
13	<b>सकल राजकोषीय घाटा (11+12)</b>	<b>35202.98</b>	<b>(-) 11082.69</b>	<b>54622.11</b>	<b>39286.42</b>	<b>64636.26</b>

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

अवधि 2018-23 के दौरान, राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति थी। वर्ष 2019-20 के दौरान, राज्य का राजस्व अधिशेष (₹ 67,560 करोड़) एवं राजकोषीय अधिशेष (₹ 11,083 करोड़) मुख्य रूप से निक्षेप निधि के ₹ 71,180 करोड़ के पुस्तकीय अवशेष के राजस्व प्राप्ति लेखे में, बिना किसी वास्तविक रोकड़ प्राप्ति के, अन्तरण के कारण था। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य ने ₹ 64,636.26 करोड़ का राजकोषीय घाटा दर्ज किया, जो मुख्य रूप से बाजार ऋण एवं भारत सरकार से ऋण के माध्यम से वित्तपोषित था।

### 2.6.2 ऋण की रूपरेखा: परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान

ऋण परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान रूपरेखा ऋण के पुनर्भुगतान या ऋण के सर्विस के लिए सरकार की ओर से प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 31 मार्च 2023 को ₹ 6,62,316 करोड़ के बकाया सकल शेष वित्तीय दायित्वों में से, ₹ 94,475 करोड़ लोक लेखे के दायित्वों से सम्बन्धित हैं। लोक ऋण (₹ 5,67,841 करोड़) की परिपक्वता रूपरेखा तालिका 2.30 एवं चार्ट 2.16 में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.30 : लोक ऋण के पुनर्भुगतान की ऋण परिपक्वता रूपरेखा


पुनर्भुगतान की अवधि (वर्ष)	लोक ऋण (₹ करोड़ में)	प्रतिशत
0-1	21288.28	3.75
1-3	71046.49	12.51
3-5	102342.80	18.02
5-7	131920.58	23.24
7 एवं अधिक	214833.74	37.83
अन्य*	26408.80	4.65
योग	<b>567840.69</b>	100

स्रोत : वित्त लेखा 2022-23 के आधार पर आगणित

\* समाधान के अधीन- इसमें भारत सरकार द्वारा बट्टे खाते में डाले जाने वाले ₹ 13.12 करोड़, ₹ 24,546.44 करोड़ जिसके लिये भारत सरकार से ऋण पुनर्भुगतान की शर्तें प्रतीक्षित थीं और भारत सरकार द्वारा पुनर्भुगतान किये गये बैंक-टू-बैंक ऋण (-) ₹ 235.72 करोड़ जिसके लिये ऋण-वार विवरण की प्रतीक्षा की जा रही थी।



चार्ट 2.16: ऋण परिपक्वता की रूपरेखा



स्रोत: वित्त लेखा 2022-23

लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा इंगित करती है कि वर्ष 2023-24, 2024-26, 2026-28 और 2028-30 की अवधि के दौरान ऋण चुकाने के लिए राज्य की देयता क्रमशः ₹ 21,288.28 करोड़ (3.75 प्रतिशत), ₹ 71,046.49 करोड़ (12.51 प्रतिशत), ₹ 1,02,342.80 करोड़ (18.02 प्रतिशत) और ₹ 1,31,920.58 (23.24 प्रतिशत) होगी।

आगामी नौ से अधिक वर्षों की अवधि के लिये 31 मार्च 2023 को अवशेष लोक ऋण के पुनर्भुगतान का वर्षवार सारणी तालिका 2.31 में प्रदर्शित है।

तालिका 2.31: लोक ऋण का पुनर्भुगतान सारणी

(₹ करोड़ में)

पुनर्भुगतान की अवधि	लोक ऋण का पुनर्भुगतान		योग	प्रतिशत
	आन्तरिक ऋण	भारत सरकार से ऋण और अग्रिम		
2023-24	19485.70	1802.58	21288.28	3.75
2024-25	29007.44	704.77	29712.21	5.23
2025-26	40731.06	603.22	41334.28	7.28
2026-27	50426.52	748.60	51175.12	9.01
2027-28	50522.28	645.40	51167.68	9.01
2028-29	54321.85	626.20	54948.05	9.68
2029-30	76368.87	603.66	76972.53	13.56
2030-31	81335.73	541.77	81877.50	14.42
2031-32	62419.37	445.00	62864.37	11.07
2031-32 से आगे	66784.12	3307.75	70091.87	12.34
राज्य सरकार से समाधान के अन्तर्गत*	2073.60	24335.20	26408.80	5.08
<b>योग</b>	<b>533476.54</b>	<b>34364.15</b>	<b>567840.69</b>	<b>100.00</b>

स्रोत: वित्त लेखा 2022-23

नोट : तालिका 2.31 में अवशेष ऋण स्टॉक पर देय ब्याज को सम्मिलित नहीं किया गया है।

\* समाधान के अधीन- इसमें भारत सरकार द्वारा बट्टे खाते में डाले जाने वाले ₹ 13.12 करोड़, ₹ 24,546.44 करोड़ जिसके लिये भारत सरकार से ऋण पुनर्भुगतान की शर्तें प्रतीक्षित थीं और भारत सरकार द्वारा पुनर्भुगतान किये गये बैंक-टू-बैंक ऋण (-) ₹ 235.72 करोड़ सम्मिलित हैं, जिसके लिये ऋण-वार विवरण की प्रतीक्षा की जा रही थी।

## 2.7 ऋण संवहनीयता विश्लेषण

ऋण संवहनीयता विश्लेषण राजकोषीय और ऋण मापदंडों, डोमर दृष्टिकोण और एफआरबीएम लक्ष्यों के लिये व्यापक-राजकोषीय मापदंडों के अनुपालन के आधार पर किया गया है। विश्लेषण का परिणाम निम्नलिखित प्रस्तारों में दिया गया है:

(अ) भविष्य में अपने ऋण दायित्वों की सर्विस करने की राज्य की क्षमता को ऋण संवहनीयता के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसलिए ऋण की संवहनीयता वर्तमान या प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल संपत्ति की पर्याप्तता और ऐसे उधारों से प्रतिफल के साथ अतिरिक्त उधार की लागत के बीच संतुलन बनाए रखने की क्षमता को भी संदर्भित करती है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि की ऋण चुकाने की क्षमता में वृद्धि के साथ तारतम्यता होनी चाहिए। ऋण संवहनीयता, ऋण विमोचन (मूलधन एवं ब्याज भुगतान) के सकल ऋण प्राप्तियों से अनुपात और उपलब्ध ऋण धनराशि के अनुप्रयोग पर भी निर्भर करती है। ऋण विमोचन का ऋण प्राप्तियों से अनुपात पूँजीगत व्यय हेतु लिये गये ऋण की निवल उपलब्धता को इंगित करते हुए यह दर्शाता है कि ऋण प्राप्तियों का उपयोग ऋण विमोचन में किस सीमा तक किया गया।

राज्य के लोक ऋण की ऋण संवहनीयता के संकेतक तालिका 2.32 एव चार्ट 2.17 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.32 : ऋण संवहनीयता के संकेतकों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

ऋण संवहनीयता संकेतक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
बकाया लोक ऋण <sup>19</sup> (₹ करोड़ में)	365170	416578	470652*	509537*	553694*
बकाया लोक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.24	14.08	12.98	8.26	8.67
जीएसडीपी (₹ करोड़ में)	1582180	1700062	1645317	1974532	2257575
जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.88	7.45	(-3.22)	20.01	14.33
लोक ऋण / जीएसडीपी (प्रतिशत में)	23.08	24.50	28.61	25.81	24.53
बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर <sup>20</sup> (प्रतिशत में)	8.06	7.83	7.53	7.84	7.24
लोक ऋण पर ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत	8.54	8.36	11.28	10.35	9.22
लोक ऋण भुगतान का लोक ऋण प्राप्तियों से प्रतिशत	40.15	30.35	30.83	37.92	33.94
राज्य के लिए उपलब्ध निवल लोक ऋण <sup>21</sup>	2694	20784	26661	8609	5672
ऋण प्राप्तियों के सापेक्ष निवल लोक ऋण की उपलब्धता प्रतिशतता में	5.22	28.25	30.69	11.37	8.49
राजस्व घाटा (-)/अधिपेश (+) ब्याज भुगतान के अलावा	60292	102373	35061	76306	80271

<sup>19</sup> बकाया लोक ऋण मुख्य शीर्षों 6003-आन्तरिक ऋण तथा 6004-केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम में वर्ष के 31 मार्च को अवशेष का योग है।

<sup>20</sup> लोक ऋण पर ब्याज भुगतान (लोक ऋण का प्रारम्भिक शेष + लोक ऋण का अन्तिम शेष / 2) (प्रतिशत में)।


<sup>21</sup> राज्य सरकार के लिए निवल लोक ऋण उपलब्धता की गणना लोक ऋण की अदायगी तथा लोक ऋण पर ब्याज भुगतान के सापेक्ष लोक ऋण प्राप्तियों के आधिक्य के रूप में की जाती है।

ऋण संवहनीयता संकेतक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
प्राथमिक घाटा (-)/अधिपेश (+)	(-)3161	45896	(-)17194	3589	(-)21628
ऋण संवहनीयता (₹ करोड़ में)* (फैलाव मात्रा स्प्रेड <sup>22</sup> + प्राथमिक घाटा)	3485	44313	(-) 67789	65600	17629

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

\* राज्य के पुनर्भुगतान दायित्व से रहित जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति की कमी के सापेक्ष 2020-21 (₹ 6,007 करोड़) तथा 2021-22 (₹ 8,140 करोड़) के बैक-टू-बैक ऋण को घटाकर बकाया लोकऋण की गणना की गयी है।

चार्ट 2.17 : ऋण संवहनीयता संकेतांक



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.32 तथा चार्ट 2.17 का विश्लेषण निम्नानुसार इंगित करता है:

- राज्य का कुल बकाया लोक ऋण वर्ष 2018-19 में ₹ 3,65,170 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 5,53,694 करोड़ हो गया। वर्ष 2022-23 के दौरान इसमें विगत वर्ष की तुलना में 8.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि, बकाया लोक ऋण में, राज्य के लिये कोई पुनर्भुगतान देयता के बिना जीएसटी क्षतिपूर्ति कमी के सापेक्ष भारत सरकार से बैक-टू-बैक ऋण के रूप में 2020-21 (₹ 6,007 करोड़) और 2021-22 (₹ 8,139.94 करोड़) में प्राप्त हुए ऋण को सम्मिलित करते हुए विगत वर्ष से 8.43 प्रतिशत की वृद्धि दर से 31 मार्च 2023 तक राज्य का लोक ऋण ₹ 5,67,840.69 करोड़ था।
- ऋण संवहनीयता की स्थिति दर्शाती है कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ फैलाव मात्रा शून्य है तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात स्थिर होगा या ऋण अन्ततः स्थिर हो जायेगा। यदि यह सकारात्मक है तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात अन्ततः नीचे जायेगा और इसके

<sup>22</sup> फैलाव मात्रा = अवशेष लोक ऋण\*(जीएसडीपी वृद्धि दर-औसत ब्याज दर)/100।

विपरीत यदि फैलाव मात्रा के साथ-साथ प्राथमिक घाटा नकारात्मक हो जाता है तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि होगी। जैसा कि तालिका 2.32 में आगणित किया गया है, ऋण स्थिरीकरण संकेतक 2020-21 में गिरावट के बाद 2021-22 में सकारात्मक हो गया और 2022-23 में मंदी के बावजूद सुधार के पक्ष पर बना रहा।

• ब्याज भुगतान के उच्च प्रतिशत के कारण प्राथमिकता के क्षेत्रों के लिए कम निधि रह जाती है। राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष ब्याज भुगतान का प्रतिशत सरकार के लिए एक निर्धारित अवधि में उसके ऋणों पर ब्याज भुगतान के सापेक्ष सुरक्षा की सीमा का आंकलन करता है। राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष लोक ऋण पर ब्याज भुगतान का प्रतिशत 2020-21 के दौरान 11.28 प्रतिशत से घटकर 2022-23 के दौरान 9.22 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2018-23 के दौरान लोक ऋण के ब्याज और पुनर्भुगतान के प्रावधान के पश्चात् वर्तमान परिचालनों के लिये उधार से उपलब्ध निवल निधि में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति थी और यह वर्ष 2018-19 के दौरान कुल लोक ऋण का न्यूनतम 5.22 प्रतिशत एवं 2021-22 के दौरान अधिकतम 30.69 प्रतिशत था। वर्ष 2022-23 के दौरान उपलब्ध निवल निधि उधार का 8.49 प्रतिशत था।

(ब) वित्त आयोग प्रतिवेदन में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.33: वित्त आयोग प्रतिवेदन में वित्तीय समुच्चय हेतु लक्ष्य के साथ-साथ उपलब्धि हेतु निर्धारित लक्ष्य

मापदण्ड		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
जीएसडीपी के सापेक्ष लम्बित दायित्वों का प्रतिशत	लक्ष्य	32.03	32.67	40.90	40.00	40.50
	प्राप्ति	32.75	29.55	33.97*	30.33*	28.71*

\*जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के सापेक्ष वर्ष 2020-21 (₹ 6,007 करोड़) और 2021-22 (₹ 8,139.94 करोड़) के दौरान प्रदान किये गये बैंक टू-बैंक ऋण जिस पर राज्य का कोई पुनर्भुगतान दायित्व नहीं है; को सम्मिलित किये बिना गणना की गई।

जैसा कि तालिका 2.33 में दर्शाया गया है 2018-23 की अवधि के दौरान, वर्ष 2018-19 को छोड़कर, कुल अवशेष ऋण का जीएसडीपी से अनुपात वित्त आयोग के प्रतिवेदन में निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत था।

(स) ई.डी. डोमर (डोमर, 1944) द्वारा किये गये अध्ययन के आधार पर ऋण संवहनीयता पर एक विश्लेषण किया गया। डोमर मॉडल बताता है कि लोक ऋणग्रस्तता की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक आधार यह है कि सरकारी ऋण की ब्याज दरें सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से अधिक नहीं होनी चाहिये। ब्याज दर, जीएसडीपी की वृद्धि दर और प्राथमिक बजट शेष के आधार पर लोक ऋण की गतिशीलता इस प्रकार है:

जी-आर (जी): वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर; आर: वास्तविक ब्याज दर)	प्रारम्भिक बजट अवशेष < 0 (प्राथमिक घाटा)	प्रारम्भिक बजट अवशेष > = 0 (प्राथमिक अधिशेष)
यदि जी-आर > 0 (उस आर्थिक वृद्धि)	वास्तविक आर्थिक वृद्धि वास्तविक ब्याज दर से अधिक है शर्त ये है कि दर्ज प्राथमिक घाटा स्थिर हो और ऋण/जीएसडीपी के अनुरूप हो, तो ऋण संवहनीय है।	वास्तविक आर्थिक वृद्धि वास्तविक ब्याज दर से अधिक है और प्राथमिक अधिशेष दर्ज हो तो ऋण/जीएसडीपी अनुपात कम हो जायेगा और ऋण स्थिर स्तर की ओर बढ़ जाता है, इसलिये संवहनीय होता है।
यदि जी-आर < 0 (धीमी आर्थिक वृद्धि)	वास्तविक आर्थिक वृद्धि वास्तविक ब्याज दर से कम है और प्राथमिक घाटा दर्ज करता है। तब ऋण बिना किसी सीमा के बढ़ता जाता है और असंवहनीय हो जाता है।	वास्तविक आर्थिक वृद्धि वास्तविक ब्याज दर से कम और प्राथमिक अधिशेष दर्ज करता है। तब ऋण संवहनीय नहीं रह जाता है शर्त ये है कि यह मध्यम या दीर्घावधि में कम न हो।

मुद्रास्फीति उत्तर प्रदेश के प्रकरण में उपरोक्त मापदण्डों को लागू करने के परिणाम तालिका 2.34 में दर्शाये गये है।

तालिका 2.34: डोमर माडल पर आधारित ऋण संवहनीयता विश्लेषण

वर्ष	वास्तविक वृद्धि* (जी)	वास्तविक ब्याज** (आर)	जी-आर (डोमर गैप)	प्राथमिक घाटा(-) /अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)
2018-19	3.88	4.29	(-)0.41	(-) 3161
2019-20	4.03	1.97	2.06	(+) 45896
2020-21	(-)4.24	2.27	(-)6.51	(-) 17194
2021-22	10.20	2.05	8.15	(+) 3589
2022-23	8.30	0.17	8.13	(-) 21628

\* स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी के लिये आगणित वास्तविक वृद्धि दर

\*\* वास्तविक ब्याज दर मुद्रास्फीति के लिये समायोजित नाम मात्र ब्याज दर है।

2019–20 एवं 2021–22 के दौरान राज्य सरकार ने प्राथमिक अधिशेष प्राप्त किया था। तथापि, 2019–20 में प्रारम्भिक अधिशेष लोक लेखे के अन्तर्गत निक्षेप निधि के ₹ 71,180 करोड़ बिना वास्तविक रोकड़ प्राप्ति के गैर कर राजस्व में मुख्यतः पुस्तकीय अवशेष के हस्तांतरण के कारण था। अग्रेतर, कोविड-19 के बाद के वर्षों (यथा-2021–22 एवं 2022–23) की वास्तविक वृद्धि दर (जी) और डोमर गैप (जी-आर) को 2020–21 के दौरान नकारात्मक जीएसडीपी के साथ पठित किया जाना चाहिए। फलतः अग्रेतर वर्षों में जीएसडीपी की गणना के लिये निम्न आधार रहा।

जैसा कि तालिका 2.34 से स्पष्ट है कि डोमर माडल विश्लेषण के अनुसार 2019–20 और 2021–22 और 2022–23 में ब्याज की वृद्धि दर जीएसडीपी (जी-आर>0) की वृद्धि दर से कम थी। तथापि जब डोमर गैप के परीक्षण से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2018–19 और 2020–21 में वास्तविक ब्याज दर वास्तविक वृद्धि दर से आगे निकल गयी थी। सकारात्मक

डोमर गैप के साथ-साथ प्राथमिक अधिशेष ने वर्ष 2021-22 में ऋण जीएसडीपी अनुपात को कम किया। अग्रेतर, 2022-23 में प्राथमिक घाटा होने के बावजूद 2022-23 में सकारात्मक डोमर गैप प्राथमिक घाटे को समाहित करने में सक्षम था तथा आगे ऋण जीएसडीपी अनुपात को घाटे की प्रवृत्ति की ओर रखने में सहयोगी था, जैसा कि तालिका 2.32 में दर्शाया गया है।

उपरोक्त चर्चा से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ऋण जीएसडीपी अनुपात में विगत पाँच वर्षों में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति थी तथा इस प्रकार यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि ऋण संवहनीयता के मार्ग पर था।

### 2.7.1 उधार ली गयी निधि का उपयोग

उधार लिये गये निधि का उपयोग आदर्श रूप से पूँजी निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। 2018-23 की अवधि के दौरान ऋण ली गई धनराशि के उपभोग की स्थिति को तालिका 2.35 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.35 : ऋण ली गई निधि का उपयोग

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	लोक ऋण प्राप्तियां	51595	73809	86859	75751	66847
2	पूर्व के लोक ऋणों का पुनर्भुगतान (मूलधन) (लोक ऋण प्राप्तियों का प्रतिशत)	20717 (40.15)	22401 (30.35)	26777 (30.83)	28726 (37.92)	22690 (33.94)
3	पूँजीगत व्यय (लोक ऋण प्राप्तियों का प्रतिशत)	62463 (121.06)	59998 (81.29)	52237 (60.14)	71443 (94.31)	93028 (139.17)
4	निवल संवितरित ऋण एवं अग्रिम (लोक ऋण प्राप्तियों का प्रतिशत)	990 (1.92)	(-3521) (-4.77)	18 (0.02)	674 (0.89)	8871 (13.27)
5	निवल उपलब्ध ऋण से किये गये राजस्व व्यय का भाग क्र.सं. 5 = क्र.सं. (1-2-3-4) (लोक ऋण प्राप्तियों का प्रतिशत)	(-) 32575 (-63.14)	(-5069) (-6.87)	7827 (9.01)	(-) 25092 (-33.12)	(-) 57742 (-86.38)

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.35 यह दर्शाती है कि 2018-19, 2019-20, 2021-22 और 2022-23 की अवधि में पूँजीगत लेखों पर व्यय की पूर्ति राज्य के राजस्व अधिशेष से की गयी।

### 2.7.2 प्रत्याभूतियों की स्थिति-आकस्मिक देयताएं

राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों या अन्य निकायों द्वारा निर्गत बाण्ड तथा लिये गये अन्य ऋण के लिये प्रत्याभूति निर्गत करती है। प्रत्याभूतियों, ऋणकर्ता जिनके लिए प्रत्याभूति दी गई थी, द्वारा चूक की स्थिति में, राज्य की संचित निधि पर भारित आकस्मिक देयताएं हैं।

वित्त लेखे का विवरण संख्या 9 तथा 20, राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण दर्शाता है। इस संकलन में विवरण सीधे राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा विगत पाँच वर्षों में दी गयी प्रत्याभूति और लम्बित प्रत्याभूति की अधिकतम धनराशि तालिका 2.36 में दी गई है।

तालिका 2.36 : राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूति की स्थिति

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूति	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
वर्ष के दौरान प्रत्याभूति की अधिकतम धनराशि	90662.48	132499.27	175469.24	206431.78	193244.82
प्रत्याभूति की लम्बित धनराशि	110032.12	118696.49	150554.00	174218.42	170780.52

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

लम्बित प्रत्याभूति वर्ष 2021–22 के ₹ 1,74,218.42 करोड़ से 1.97 प्रतिशत घटकर वर्ष 2022–23 में ₹ 1,70,780.52 करोड़ हो गयी। वर्ष 2022–23 के दौरान, लम्बित प्रत्याभूति राजस्व प्राप्ति (₹ 4,17,242 करोड़) का 40.93 प्रतिशत था और वर्ष के दौरान राज्य सरकार की जीएसडीपी (₹ 22,57,575 करोड़) का 7.56 प्रतिशत था। 31 मार्च 2023 को लम्बित प्रत्याभूति मुख्य रूप से ऊर्जा क्षेत्र की तीन कम्पनियों (₹ 1,30,648 करोड़), अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग के अन्तर्गत एक इकाई (₹ 28,450 करोड़), सहकारिता विभाग के अन्तर्गत चार इकाईयों (₹ 6,175 करोड़) तथा चीनी उद्योग विभाग के अन्तर्गत दो इकाईयों (₹ 3,699 करोड़) से सम्बन्धित थी। वर्ष 2022–23 के दौरान, प्रत्याभूति शुल्क/कमीशन के रूप में ₹ 4.41 करोड़ की धनराशि प्राप्त होनी थी, परन्तु कोई प्रत्याभूति शुल्क प्राप्त नहीं हुआ था। अग्रेतर, वर्ष 2022–23 के दौरान कोई प्रत्याभूति लागू नहीं हुई थी।

अग्रेतर, वर्ष 2022–23 के प्रारम्भ में लम्बित प्रत्याभूति तथा वर्ष 2021–22 के अन्त में लम्बित प्रत्याभूति में ₹ 2,513.30 करोड़ का अन्तर था जो महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश तथा राज्य सरकार के मध्य समाधान की प्रक्रिया में था।

### 2.7.3 नकद अवशेष का प्रबन्धन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समझौते के अनुसार, राज्य सरकारों को बैंक के साथ न्यूनतम दैनिक नकद अवशेष बनाए रखना होता है। यदि किसी दिन अवशेष न्यूनतम सहमत धनराशि कम हो जाती है, तो समय-समय पर सामान्य आर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)/विशेष आर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट लेकर कमी को पूरा किया जाता है। राज्य सरकार के लिए सामान्य डब्ल्यूएमए की सीमा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर संशोधित की जाती है।

राज्य सरकार अपने अधिशेष नकद अवशेष को भारत सरकार की लघु और दीर्घकालिक प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों में निवेश करती है। ऐसे निवेशों से प्राप्त आय को मुख्य शीर्ष '0049-ब्याज प्राप्तियां' के अन्तर्गत प्राप्तियों के रूप में जमा किया जाता है। नकद अवशेष में समेकित निक्षेप निधि के सरकारी प्रतिभूतियों का निवेश सम्मिलित है।

यह वांछनीय नहीं है कि राज्य सरकार अधिक नकद अवशेष होने के बावजूद बाजार ऋण का सहारा ले क्योंकि इससे उत्पादक उपयोग में लाए बिना नकद अवशेष में और वृद्धि होती है।

वर्ष 2022-23 के दौरान नकद अवशेष तथा राज्य सरकार द्वारा नकद अवशेष में से किए गए निवेश को तालिका 2.37 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.37 : वर्ष 2022-23 के दौरान नकद अवशेष तथा उनका निवेश

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2022 को प्रारम्भिक अवशेष	31 मार्च 2023 को अन्तिम अवशेष
<b>अ. सामान्य नकद अवशेष</b>		
कोषागार में नकद	0.00	0.00
भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा	(-)348.47	102.77
पारगमन में प्रेषण	0.00	0.00
नकद अवशेष निवेश लेखा में किया गया निवेश	41825.24	27188.94
<b>योग(अ)</b>	<b>41476.77</b>	<b>27291.71</b>
<b>ब. अन्य नकद अवशेष तथा निवेश</b>		
विभागीय अधिकारियों यथा लोक निर्माण, वन अधिकारी के पास नकद	10.69	10.78
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	0.50	0.50
निर्धारित निधियों में निवेश	3045.20	5545.20
<b>योग(ब)</b>	<b>3056.39</b>	<b>5556.48</b>
<b>योग (अ+ब)</b>	<b>44533.16</b>	<b>32848.19</b>

स्रोत: वित्त लेखे 2022-23

वर्तमान वर्ष के अन्त में राज्य सरकार की नकद अवशेष धनराशि ₹ 32,848.19 करोड़ थी। वर्ष 2021-22 के अन्त में अवशेष की तुलना में इसमें ₹ 11,684.97 करोड़ (26.24 प्रतिशत) की कमी हुई। वर्ष 2022-23 के दौरान नकद अवशेष निवेश लेखा में निवेश का प्रारम्भिक अवशेष ₹ 41,825.24 करोड़ था। ₹ 8,42,096.42 करोड़ के ट्रेजरी बिल क्रय किये गए और ₹ 8,56,668.38 करोड़ की धनराशि के ये इन्स्ट्रूमेंट विक्रय किये गये, जिससे वर्ष के अन्त में लेखे में ₹ 27,188.94 करोड़ की धनराशि अवशेष रही। ट्रेजरी बिलों और भारत सरकार की दीर्घकालिक प्रतिभूतियों में निवेश पर ब्याज के रूप में क्रमशः ₹ 391.31 करोड़ और ₹ 11.29 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई। अग्रेतर, भारत सरकार की दीर्घ अवधि की सिक्यूरिटी के शोधन के रूप में ₹ 64.34 करोड़ प्राप्त हुआ था।

नकद अवशेष निवेश लेखे के अन्तर्गत ट्रेजरी बिलों में निवेश का राज्य सरकार का संव्यवहार वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 5,44,061 करोड़ से घटकर वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 4,93,843 करोड़ तथा वर्ष 2020-21 में ₹ 4,64,321 करोड़ हो गया। यह वर्ष 2021-22 में बढ़कर ₹ 6,91,373 करोड़ और वर्ष 2022-23 में ₹ 8,42,096 करोड़ हो गया। नकद अवशेष निवेश लेखे के अनुरूप, नकद अधिशेष (सामान्य नकद अवशेष) अवधि 2017-18 से 2018-19 के दौरान ₹ 11,425 करोड़ (31 मार्च 2018) से बढ़कर ₹ 26,855 करोड़ (31 मार्च 2019) हो गया जो वर्ष 2019-20 (31 मार्च 2020) में घटकर ₹ 21,387 करोड़ हो गया और पुनः वर्ष 2020-21 (31 मार्च 2021) में बढ़कर ₹ 30,597 करोड़ हो गया एवं वर्ष 2021-22 (31 मार्च 2022) में बढ़कर ₹ 41,477 करोड़ हो गया और अग्रेतर, वर्ष 2022-23 के दौरान घटकर ₹ 27,292 करोड़ हो गया। अवधि 2018-23 के दौरान नकद



अवशेष निवेश लेखा तथा उस पर अर्जित ब्याज की स्थिति को तालिका 2.38 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.38 : नकद अवशेष निवेश लेखा (मुख्य 8673)


(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	अंतिम अवशेष	वृद्धि(+)/कमी (-) (अन्तिम अवशेष-प्रारम्भिक अवशेष)	उपार्जित ब्याज
2018-19	11159.38	26684.36	15524.98	1088.56
2019-20	26684.36	21150.71	(-) 5533.65	596.15
2020-21	21150.71	30459.45	9308.74	249.67
2021-22	30459.45	41825.24	11365.79	346.99
2022-23	41825.24	27188.94	(-) 14636.30	402.60

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2022-23 के दौरान नकद अवशेष तथा निवल नकद अवशेष निवेश के माहवार प्रवाह को चार्ट 2.18 में दर्शाया गया है।


चार्ट 2.18: वर्ष 2022-23 के दौरान नकद अवशेष तथा निवल नकद अवशेष निवेश का माहवार प्रवाह



स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (ले० एवं हक०) उत्तर प्रदेश द्वारा अनुरक्षित आँकड़े

राज्य सरकार द्वारा लिये गये बाजार ऋण तथा राज्य सरकार के पास उपलब्ध नकद अवशेष की स्थिति चार्ट 2.19 में प्रस्तुत की गयी है।

चार्ट 2.19: अवधि 2018–23 के दौरान नकद अवशेष के सापेक्ष बाजार ऋण



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

#### 2.7.4 नकद अवशेष में भिन्नता

महालेखाकार के अभिलेखों के अनुसार 31 मार्च 2023 को नकद अवशेष धनराशि ₹ 102.77 करोड़ (डेबिट) था और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिवेदित धनराशि ₹ 41.19 करोड़ (डेबिट) था। इस प्रकार ₹ 143.96 करोड़ के निवल अन्तर था, जो समाधान की प्रक्रिया में था।

### 2.8 निष्कर्ष

#### सकारात्मक संकेतक

- राजकोषीय घाटा (–) ₹ 64,636 करोड़ जीएसडीपी का 2.86 प्रतिशत था, जो कि यूपीएफआरबीएम (संशोधन) बिल 2021 द्वारा निर्धारित 3.50 प्रतिशत के राजकोषीय लक्ष्य के अन्दर था।
- वर्ष 2021–22 के सापेक्ष वर्ष 2022–23 में राजस्व प्राप्ति में 12.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- राज्य ने 2022–23 के दौरान ₹ 37,263 करोड़ का राजस्व अधिशेष दर्ज किया था।
- राजस्व व्यय के सापेक्ष प्रतिबद्ध व्यय में वर्ष 2021–22 से 2022–23 के दौरान घटने की प्रवृत्ति देखी गई। वर्ष 2022–23 में यह राजस्व व्यय का 58.66 प्रतिशत था।
- राज्य का ऋण-जीएसडीपी अनुपात में घटने की प्रवृत्ति देखी गई और यह वर्ष 2022–23 में 28.71 प्रतिशत था।
- वर्ष 2022–23 में सकारात्मक डोमर गैप प्राथमिक घाटे को समाहित करने में सक्षम था तथा प्रारम्भिक रूप से ऋण जीएसडीपी अनुपात को घाटे की प्रवृत्ति की ओर रखने में सहयोगी था।

### संकेतक जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है

- वर्ष 2022–23 के दौरान, राज्य सरकार ने समेकित निक्षेप निधि में ₹428.48 करोड़ का कम अंशदान हस्तांतरित किया गया, जिसका उपयोग राज्य सरकार की लम्बित देनदारियों के मोचन के लिये किया जाना था।
- राज्य सरकार ने मूल्यह्रास आरक्षित निधि के लिए प्रभारित राशि को इस निधि में स्थानांतरित नहीं किया बल्कि इसे राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों के रूप में रखा गया।
- राज्य सरकार द्वारा राज्य आपदा अनुक्रिया निधि के अनिवेशित अवशेष पर वर्ष 2022–23 के लिए ₹ 266.56 करोड़ का ब्याज जमा नहीं किया गया था। एसडीआरएफ दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट तरीके से निधि की अवशेष धनराशि का निवेश नहीं किया जा रहा था।
- राज्य सरकार ने प्रत्याभूति विमोचन निधि में ₹ 1742.18 करोड़ का अंशदान नहीं किया है जो कि सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूति में से, उधार प्राप्तकर्ता एजेंसी द्वारा चूक की स्थिति में ऋण की सर्विसिंग के दायित्व की पूर्ति हेतु है।

### 2.9 संस्तुतियाँ

1. राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि समेकित निक्षेप निधि में वार्षिक अंशदान विगत वर्ष के अन्त में बकाया देयताओं का कम से कम 0.50 प्रतिशत हो, जैसा कि समेकित निक्षेप निधि योजना में दिया गया है, जिससे कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अग्रतर निवेश हेतु एवं भविष्य की अवशेष देयताओं के भुगतान हेतु निधि में पर्याप्त अवशेष उपलब्ध हो।
2. राज्य सरकार को मूल्यह्रास आरक्षित निधि के लिए भारित पूरी धनराशि को इस निधि को हस्तांतरित करना चाहिए।
3. राज्य सरकार द्वारा एसडीआरएफ दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एसडीआरएफ के अन्तर्गत अवशेष धनराशि का निवेश करना चाहिये और उपार्जित ब्याज को निधि में जमा करना चाहिये।
4. राज्य सरकार को अधिसूचना के अनुसार प्रत्याभूति विमोचन निधि में वार्षिक अंशदान सुनिश्चित करना चाहिये जैसा कि उत्तर प्रदेश प्रत्याभूति विमोचन निधि योजना में आवश्यक है।